
कैसे नजरबंदी से बाहर निकलना

बंदियों के लिए एक निःशुल्क प्राप्त करें



BiD Bail for
Immigration
Detainees

यह पुस्तिका आपको बताता है कि कैसे आप नजरबंदी से निकल सकते हैं।

यह पुस्तिका नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

Bail for Immigration Detainees (BID) आप्रवासन बंदियों के लिए जमानत निकालना केंद्रों (IRCs) और ब्रिटेन में जेलों (HMPs) में बंदियों के लिए सलाह प्रदान करता है।

BID

Freepost RTSU-ZJCB-XCSX
1B Finsbury Park Road
London N4 2LA

सलाह लाइन टेलीफोन: 020 7456 9750 (Mon-Thurs, 10am-12noon)

फैक्स: 0203 745 5226

सामान्य पूछताछ ईमेल: casework@biduk.org

वेबसाइट: www.biduk.org

पाठकों के लिए जानकारी: हम अनावश्यक तकनीकी शब्दों या भाषा का प्रयोग न करने की कोशिश करते हैं। शब्दों की एक सूची किताब के पीछे शब्दकोष में उपस्थित है।

भीतर की सामग्री:

1. परिहय

जमानत क्या है?

इस पुसतिका का लेखक कौन है

यह पुसतिका क्यों लिखा हुआ है

इस पुस्तिका का उपयोग कैसे करें

क्यों जमानत के लिए आवेदन करना चाहिए

अन्य व जानकारी

विशेष स्थितियां

2. एक कानूनी प्रतिनिधि के साथ लेनदेन

जमानत के लिए आवेदन करने के लिए एक कानूनी प्रतिनिधि से बात करे

The Detention Duty Advice scheme (DDA)

कैसे अपने कानूनी सलाहकार के बारे में शिकायत लगाना

3. नजरबंदी से रिहा करवाने के तरीके

अस्थाई प्रवेश

मुख्यमंत्री आव्रजन अधिकारी जमानत

आव्रजन न्यायाधीश से जमानत

हाई कोर्ट से

अगर आपका आव्रजन मामला सफल होता है

4. कानून

नियमित रूप से हिरासत में रखने की समीक्षा

5. जमानत देने वाले को लाना का प्रत्याभूतिकर्ता

प्रत्याभूतिकर्ता क्या है?

क्या प्रत्याभूतिकर्ता जमानत के लिये ज़रूरी है?

कौन प्रत्याभूतिकर्ता बन सकता है?
कितने पैसे की जरूरत है ?
कब आप अपने प्रत्याभूतिकर्ता के बारे में अदालत को बता सकते हैं?
प्रत्याभूतिकर्ता क्या करता है?
प्रत्याभूतिकर्ता के पैसे का क्या होता है ?
क्या आप प्रत्याभूतिकर्ता खोज सकते हैं अगर आपके ब्रिटेन में कोई दोस्त
या रिश्तेदार नहीं हैं?

6. आवास

दोस्त या रिश्तेदार के साथ आवास
शरण समर्थन से आवास (धारा 4)

7. आवेदन फार्म

जमानत के आवेदन के लिये फार्म
फार्म कैसे भरे
फार्म कहां भेजे
फार्म भेजने के बाद
आगे क्या करे

8. जमानत के आधार

9. सुनवाई की तारीख

आपको सुनवाई की तारीखे कैसे पता चलेगे?
सुनवाई की तारीख मिलने के बाद क्या करे
सुनवाईके िदन क्या होता है?
सुनवाई के से पहले क्या होता है- जमानत सार
सुनवाई के िदन
जमानत का फेसला

संलग्नक

- जमानत आवेदन फार्म (B1)
- जमानत के आधार की रिक्त टेम्पलेट
- जमानत के आधार के उदाहरण
- धारा 4 जमानत आवास आवेदन फार्म
- धारा 4 समर्थन सूचना बुलेटिन
- निकालने के केन्द्रों में सक्रिय कानूनी सहायता वकीलो की सूची
- हिरासत केंद्र आगंतुकों समूहों की सूची
- उपयोगी संगठनों की सूची
- आव्रजन मामलों से निपटने के वकीलो की सूची

परिचय:

एक पूर्व बंदी से हिरासत में सभी लोगों के लिए एक संदेश

“मेरा नाम डेनिस है। मैं ३ महिनो के लिये डोवर आप्रवासन निकालना केंद्र में हिरासत मे था। मैं एक अपराध के लिए १५ महीने की जेल की सजा के बाद हिरासत मे लिया गया था। डोवर आईआरसी पहुंचने पर मुझे आव्रजन अधिकारी ने जमानत के फार्म दिये थे लेकिन मेने जमानत के लिये आवेदन नहीं किया क्योंकि मुझे इसे प्राप्त करने की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे पास न पता था न प्रत्याभूतिकर्ता। जब मैं दोवर पहुंचा, इसके कुछ दिन बाद मेरे कमरे मे रहनेवाले ने जमानत के लिये आवेदन किया पर उसे जमानत नहीं मिल। यह कारण की वजह से मुझे जमानत के लिए आवेदन करने से हतोत्साहित थी।

मेरे साथ रहनेवाले आगे १५०० पाउंड खुद रखा था। मुझे लगा कि अगर मेरे दोस्त को जमानत नहीं मिल तो मेरे लिए १ पाउंड के साथ कोई उम्मीद नहीं। फिर मैंने BID के लिये पुस्तकालय मे विज्ञापन देखा। मैंने

जमानत पर पुस्तिका लिया व पढ़ा। जब मैंने पुस्तिका पढ़ा। वह बहुत अच्छा लगा लेकिन मैं और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यशाला में गया।

जब मैं कार्यशाला में गया मैंने जमानत के बारे में सोचना शुरू किया। मैंने सोचा कि अगर जमानत का प्रस्ताव सच न होता तो BID अपना समय बेकार नहीं करते। उन्होंने मुझे जमानत के बारे में समझाया व मुझे आव्रजन न्यायाधीश को जमानत के लिये कारण दिये। कार्यशाला ने मुझे बार-बार समझाया कि मुझे जमानत प्राप्त हो सकता है। जब मैंने पहली बार जमानत के लिए आवेदन किया वह सफल नहीं हुआ। मुझे कार्यशाला से पता चला कि मैं दोबारा आवेदन कर सकता था तो मैं ज्यादा परेशान नहीं हुआ। जमानत के लिए मेरा दूसरा आवेदन भी असफल रहा था। इस बार मैं बहुत परेशान था। मुझे लगता था कि मुझे आज़ाद होने की कोई उम्मीद नहीं है इसलिए मैं दोबारा आवेदन नहीं करना चाहता था।

जमानत सुनवाई मुझे बुरा दिखा रहा थी और वह हर बार बदतर हो रहा थी। गृह मंत्रालय के शब्द मुझे बहुत परेशान कर रहे थे।

मेरे दोस्त फिर से जमानत के लिए आवेदन करने के लिए मुझे प्रोत्साहित कर रहे थे। इस प्रोत्साहन के बिना मैं उम्मीद छोड़ चुका होता और हिरासत में रहता। मैंने जमानत के लिये तीसरा बार आवेदन किया। मैं निराश हो गया था क्योंकि मेरा आवेदन प्रदाता अदालत में नहीं आया था। न्यायाधीश ने फिर भी मुझे जमानत दे दी। न्यायाधीश ने जिस वजह से मुझे जमानत दी थी, पिछले न्यायाधीश ने उस वजह से मुझे पिछिल बार मना किया था। मुझे यह अजीब लगा कि दो न्यायाधीशों ने समान कारणों का उपयोग कर के अलग फेसले लिये थे। मुझे रिहाई मिलने की बहुत खुशी थी।

में आपको यह कहानी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप भी अपने आप का प्रतिनिधित्व करने से जमानत ले सकते हैं। आप बहुत बार कोशिश कर सकते हैं।

आप एक अवसर पर जमानत पाने में विफल रहे तो आप अपने अगले आवेदन के लिए चीजों को सही कर सकते हैं। यह मुफ्त है और आप बहुत लाभ ले सकते हैं। सुसंयोग

सामान्य सलाह

1. आप घर कार्यालय व वकीलों के दिये सारे कागज सुरक्षित रखे।

जो दस्तावेज आपको तुच्छ लगे, आप शायद नष्ट करना चाहे। इन दस्तावेजों को नष्ट या फेंके नहीं। दस्तावेज चाहे जितने अप्रधान लगे, वे आपके मामले के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जमानत, जमानत के सारांश, या आपके मामले से संबंधित गृह मंत्रालय से सारे पत्र रखें।

2. अगर आप घर कार्यालय को फैंक्स करे, तो पत्र की प्रतिलिपि व रसीद रखें जो पत्र को भेजने की तारीख दिखाता है

फैंक्स प्राप्तियों गृह मंत्रालय को पत्र लिखने के सबूत के रूप में रखे जा सकते हैं। अगर आप उन्हें संपर्क करे उनका कर्तव्य है कि वे प्रतिक्रिया करे। यह आपके मामले में मदद कर सकता है अगर वे आपको उत्तर न दे।

3. निकालना केंद्र स्टाफ, गृह मंत्रालय के अधिकारियों और आव्रजन न्यायाधीशों के साथ हर समय विनम्र बने रहने की कोशिश करें।

आपको शायद लगे कि आपके संग बुरा व्यवहार हो रहा है। आपको शायद गुस्सा आए व पराजय महसूस हो। अगर आप सिंह तरह व्यवहार करे जो अशिष्ट या आक्रामक लगे, ये आपको हिरासत में रखने के लिये सबूत माना जा सकता है।

4. अस्थाई प्रवेश के लिए पूछने के लिए और अपने मामले की प्रगति के बारे में पता लगाने के लिए अपने परिचारिका को लिखें।

यह केवल आपको सूचित नहीं रखेंगे, लेकिन यह अदालत को दिखाएगा कि आप अपने मामले की प्रगति के लिए कदम उठा रहे हैं। यह आपको रिहा करवाने के लिए मदद कर सकता है।

(धारा ३ देखें)

अध्याय 1- परिचय

जमानत क्या है?

जमानत यह है कि जो लोग घर कार्यालय वीजा और आव्रजन के द्वारा हिरासत में लिये गये हैं और वे आव्रजन न्यायाधीश के द्वारा, कुछ शर्तों पर रिहा किये जाते हैं। सभी आप्रवास बंदि जो कम से कम 7 दिनों के लिए ब्रिटेन में रह चुके हैं वे जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार रखते हैं।

कौन इस पुस्तिका में लिखा है?

Bail for immigration Detainees (BID) एक स्वतंत्र दान है संगठन. हम घर कार्यालय या हटाना केन्द्रों का हिस्सा नहीं हैं। हम हर किसी की स्वतंत्रता के अधिकार में विश्वास करते हैं। हम हिरासत में लोगों को अपनी हिरासत को चुनौती और अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए मदद करते हैं। हम इस द्वारा ये करते हैं:

- जमानत के लिए आवेदन करने के लिए टेलीफोन पर सलाह
- जमानत आवेदन पत्र बनाने के लिए बंदियों को कुछ निकालने केंद्रों और जेलों में कार्यशाला चलाते हैं।

- हम बंदियों के पक्ष से जमानत के लिये आवेदन करते हैं। हम एक छोटा सा संगठन, हम केवल बंदियों की एक बहुत छोटी संख्या के लिए ऐसा कर सकते हैं।
- निरोध और जमानत के बारे में अनुसंधान और नीति काम करते हैं। हम लोगों को हिरासत में रखे जाने में विश्वास नहीं करते मगर जब तक हिरासत है, हम सरकार, अदालतों और केन्द्रों को जमानत और निरोध प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिये सबूत गेते हैं।
- हम रिहाई के लिए आवेदन पत्र के लिये कानूनी प्रतिनिधियों की सहायता करते हैं।

यह पुस्तक क्यों लिख गिय है :

अच्छी गुणवत्ता के कानूनी प्रतिनिध बंदियों को जमानत के आवेदन के लिये मिलना कठिन हो गया है। BID सोचता है कि हर बंदि के लिये कानूनी प्रतिनिध जो सीधे जमानत के लिये आवेदन करे महत्वपूर्ण है। जब तक ये न हो, तब तक आपको यह स्वयं करना होगा। यह कैसे करना है यह पुस्तक आपको बताता है।

इस पुस्तिका का उपयोग कैसे करें:

- इस पुस्तिका को पूरे पढ़ें।
- अगर BID आपके हटाने केंद्र या जेल में कार्यशाला चलाये, तो अगली कार्यशाला में आये।
- जमानत के लिए बी 1 आवेदन भरें। यह प्रपत्र हटाने केन्द्रों और जेलों के पुस्तकालयों / सूचना केन्द्रों में पाया जाएगा।
- अपने 'जमानत के लिए आधार' से जाने जाते एक बयान, लिखो।
- अपनी सुनवाई के लिए तैयारी करे।

यह पुस्तिका जमानत के बारे में है ही न कि आपके आप्रवासन के लिये। यह दो मामले जुड़े पर अलग है क्योंकि:

आपकी जमानत की अर्जी आपको नजरबंदी से निकालने के लिये है

आपके आव्रजन / शरण मामला आपके ब्रिटेन में रहने के बारे में है

क्यों आपको जमानत के लिए आवेदन करना चाहिए:

- आप एक स्वतंत्र व्यक्ति को मिलेगे (जिसे a First Tier Tribunal or Immigration Judge बुलाया जाता है) जो आपके खिलाफ घर कार्यालय के द्वारा एकत्र सबूत पर विचार करते हैं।
- आपकी आवाज़ सुनी जा सकती है और आप एक हटाने केंद्र या जेल की दीवारों के पीछे अदृश्य नहीं रहेगे।

अपने आप जमानत के लिए आवेदन करने के लिए:

- कानून की जानकारी ज़रूरी नहीं है
- कानूनी शब्दों की जानकारी ज़रूरी नहीं है
- आपको अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है। आप एक दुभाषिया के लिए

अन्य जानकारी प्राप्त करके के लिये:

- सूचना, सलाह और समर्थन प्रदान करने के लिये अन्य संगठनों की एक सूची इस पुस्तक की पीठ पर देखें
- हमारी वेबसाइट पर हम नियमित रूप से इस तथ्य की चादरें और जानकारी प्रकाशित करते हैं

अध्याय 2. कानूनी सलाह की प्राप्ति

जमानत के लिए आवेदन करने के लिए एक कानूनी प्रतिनिधि से पूछो:

एक कानूनी प्रतिनिधि, जेसा एक वकील, सलाह पूछने व आप के लिए एक जमानत आवेदन करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति है। आपकी रिहाई की आवेदन पर विचार करना उनके काम का हिस्सा है।

आपके कानूनी प्रतिनिधि जमानत आवेदन नहीं करने के लिए कारण दे सकते हैं, जेसा:

- वे दूसरे तरीके से हिरासत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं।
- वे आपके मामले में बदलाव के लिए इंतजार कर रहे हैं (खासकर जब आप पहले से ही हाल ही में जमानत के लिये मना कर दिया गया है।)
- वे कहते हैं कि आपको गारंटी या आवास की जरूरत है
- आपके पास 'Removal Directions' हैं (गृह मंत्रालय आपको ब्रिटेन से निकाल दिये जाने के लिये नोटिस जारी किया है)
- वे सोचते हैं कि आपकी जमानत की अर्जी की सफलता की संभावना बहुत कम है या वे सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं कर सकते हैं (कानूनी सहायता या वकील से कानूनी प्रतिनिधित्व के इनकार से आपको समीक्षा का अधिकार है (अपील)).

The Detention Duty Advice scheme (DDA):

हवालात ड्यूटी सलाह (DDA) योजना कानूनी सहायता एजेंसी (LLA) द्वारा विनियमित कानूनी फर्मों से मुफ्त सलाह देते हैं।

इस योजना के तहत, कुछ दिनों के लिए प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक निकालना केंद्र के वकीलों है। वे वकील सलाह देने के लिए निकालना केन्द्रों में आएंगे और यह नः शुल्क है। नियुक्ति पाने के लिए आप पुस्तकालय में अपना

नाम लिखा सकते हैं। केवल वे वकील जो आपके हटाने केंद्र के DDA का अनुबंध रखते हैं, वे ही कानूनी सहायता (सार्वजनिक धन) के तहत आपके मामले ले सकते हैं।

यदि आपके पास DDA वकील नहीं हैं और यह वकील हिरासत में लिये जाने से पहले से आप के लिए काम कर रहा था, और वे अभी भी आप के लिए काम कर रहे हैं, फिर वह ठीक है, वे आप का प्रतिनिधित्व पर चले जा सकते हैं, वे कम से कम 5 से अधिक घंटों के लिए आपके मामले पर काम किया है।

जिन संगठनों के पास आपके हटाने केंद्र का अनुबंध है, इस पुस्तक की पीठ में DDA अनुभाग देखें। वहाँ आने वाले वकील बदलते रहते हैं, इस जानकारी की कृपया जांच करें।

LAA ने DDA योजना के वकीलों को कहा है कि वे आपके जमानत के मामले और आव्रजन के मामले को अलग रखें। कई मामलों में उन्हें जमानत के लिए आवेदन करना चाहिए भले ही आपके मुख्य आव्रजन मामले को सार्वजनिक धन नहीं दिया जा सकता

अगर आप जेल में हैं, आपकी स्थिति अलग है। आप किसी भी वकील से संपर्क कर सकते हैं।

कैसे अपने कानूनी सलाहकार के बारे में एक शिकायत करें:

लिखित रूप में अपने कानूनी प्रतिनिधि को शिकायत करनी चाहिए। शिकायतों से निपटना उनके लिए आवश्यक है।

आप अभी भी अपने कानूनी प्रतिनिधि के साथ खुश नहीं हैं, तो, आप उनके बारे में शिकायत कर सकते हैं:

1. अगर आपके कानूनी प्रतिनिधि एक वकील है, तो आप सॉलिसिटर नियमन प्राधिकरण को शिकायत कर सकते हैं (SRA). आप उनसे

संपर्क कर सकते हैं: 0370 606 2555. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाँच करे www.sra.org.uk.

2. आप कानूनी लोकपाल में अपने वकील के बारे में शिकायत कर सकते हैं: 0300 555 0333, सोमवार से शुक्रवार: 8:30am-5:30pm. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाँच करे: www.legalombudsman.org.uk.

3. आरजन सेवा आयुक्त के कार्यालय (OISC) आरजन सलाहकारों को विनियमित करते हैं। आप टेलीफोन द्वारा उनसे संपर्क कर सकते हैं: 0345 000 0046 या वेबसाइट की जाँच कर सकते हैं: www.oisc.homeoffice.gov.uk.

बंदियों की विशेष श्रेणियाँ:

यह बहुत महत्वपूर्ण है नीचे दिए गए समूहों में से किसी में आप हो तो आप तुरंत अपने कानूनी प्रतिनिधि या हवालात ड्यूटी सलाहकार से बात करे:

- आपको निकालने का निर्देश दिया गया है

अगर गृह मंत्रालय आपको 'निकालने का निर्देश' (ब्रिटेन से निकाल दिये जाने कि तारीख) जमानत के लिए आवेदन करना उचित नहीं है। BID ब्रिटेन से हटाया जा रहा लोगों को रोकने में मदद नहीं कर सकते। आपके हटाये जाने को रोकने के लिये आपको एक आरजन वकील से संपर्क करना चाहिए।

- यदि आप एक गंभीर चिकित्सा से पीड़ित हैं या मानसिक समस्या है

गृह मंत्रालय की नीति के तहत गंभीर चिकित्सा हालत से पीड़ित लोग या मानसिक समस्या में लोग हिरासत में केवल तब ही लेने चाहिये जब उनकी हालत "संतोषजनक ढंग से प्रबंधित" से वे हिरासत में रख सकते हैं।

- अगर आप 18 वर्ष की उम्र से कम हैं

गृह मंत्रालय की नीति का कहना है कि 18 साल की उम्र से कम के लोग जो ब्रिटेन में अकेले हैं वे रात भर हिरासत में केवल तब लिये जा सकते हैं जब वे अन्य व्यवस्था बना रहे हैं

अगर गृह मंत्रालय आपके 18 वर्ष की उम्र का विश्वास नहीं करते हैं, आप अपने कानूनी प्रतिनिधि से पूछें या हवालात ड्यूटी सलाहकार को संपर्क करने के लिए ये जानकारी दें: Refugee Council's, Children's Section
टेलीफोन: 0207 346 1134. ईमेल पूछताछ: children@refugeecouncil.org.uk. सोमवार-शुक्रवार: 9.30am – 5.30pm.

- यदि आप एक यातना उत्तरजीवी रहे हैं

अत्याचार चरम बहुत बुरा व्यवहार होता है। अत्याचार यदि आप शारीरिक प्रभावित कर सकता है (शारीरिक प्रभाव) और / या मनोवैज्ञानिक (मन को प्रभावित करने वाले). यौन उत्पीड़न या बलात्कार भी अत्याचार हो सकता है। गृह मंत्रालय की नीति का कहना है जहां "स्वतंत्र सबूत" है कि एक व्यक्ति पर अत्याचार किया गया है, इस व्यक्ति को केवल हिरासत में लिया जाना चाहिए जब "बहुत असाधारण परिस्थितियों" मौजूद हैं। आपको निकालना केंद्र के चिकित्सा केंद्र को समझाना चाहिए कि आप एक यातना उत्तरजीवी रहे हैं और उन्हें बताओ कि वे आपके अत्याचार के बारे में गृह मंत्रालय को बताये। इसे 'Rule 35 Report' कहते हैं। आप और आपके कानूनी प्रतिनिधि को इस रिपोर्ट की एक प्रति लेने का अधिकार है।

स्वतंत्र चिकित्सा विशेषज्ञों अदालत के लिए रिपोर्ट लिख सकते हैं। कुछ मामलों में, एक संगठन जिसे Freedom from Torture कहते हैं (पहले इसे Medical Foundation for the Care of Victims of Torture कहते हैं) यातना के शिकार लोगों के लिए रिपोर्ट लिख सकते हैं। आप अपने

प्रतिनिधि के माध्यम से या किसी अन्य डॉक्टर के माध्यम से मेडिकल फाउंडेशन को संपर्क कर सकते हैं।

आप एक संगठन से संपर्क कर सकते हैं जिसे Medical Justice कहते हैं। आप एक ऑन लाइन रेफरल अपने आप बना सकते हैं, या अपना कानूनी प्रतिनिधि, परिवार का सदस्य, आगंतुक आप के लिए ऐसा कर सकता है। उनकी वेबसाइट है: www.medicaljustice.org.uk. टेलीफोन नंबर: 0207 561 7498.

अगर हिरासत में रखने या हिरासत की कोई शर्त आपके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभावित करता है, निकालना केंद्र के डॉक्टरों को आपके दावे पर एक रिपोर्ट बनाके गृह मंत्रालय भेजना महत्वपूर्ण है।

अध्याय 3. नजरबंदी से रिहा होने के तरीके

हिरासत से रिहा होने के लिए पाँच तरीके हैं:

- अस्थाई प्रवेश द्वारा / अस्थाई रिलीज
- मुख्यमंत्री आव्रजन अधिकारी जमानत के द्वारा
- उच्च न्यायालय द्वारा
- अगर आपका मुख्य आव्रजन मामला सफल होता है

अस्थाई प्रवेश द्वारा / अस्थाई रिलीज:

यदि गृह मंत्रालय अब हिरासत में न रखने का फैसला करता है जब तक वे आपके मामले को सुलझा रहे हैं, वे आपको ब्रिटेन में रहने देंगे। इस अस्थायी प्रवेश या अस्थाई रिलीज कहा जाता है। कभी कभी घर कार्यालय आपको किसी भी कारण देने के बिना अस्थाई प्रवेश आप जारी करेंगे।

अस्थाई प्रवेश पर आपको रिलीज करने के लिए आप अपने घर कार्यालय प्रकरण मालिक को लिख सकते हैं। इसके लिए कोई औपचारिक आवेदन नहीं फार्म है, आपको बस अपने मामले के मालिक को एक पत्र लिखना चाहिए। आपको कुछ ही दिनों के भीतर एक उत्तर प्राप्त होगा। अगर आपको अस्थायी प्रवेश से इनकार कर दिया जाता है, आप अभी भी जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आप अस्थायी प्रवेश के बारे में पूछने के हर पत्र को सुरक्षित रखें। अगर आपको उत्तर प्राप्त नहीं होता, और आप फिर आव्रजन न्यायाधीश से जमानत के लिए आवेदन करते हैं न्यायाधीश को इन पत्रों को दिखाने से आपका लाभ होगा। वह देखेंगे कि आपको जवाब नहीं मिला है। और वे गृह मंत्रालय से आपके अनुरोध का जवाब नहीं मिलने की वजह पूछ सकते हैं।

Chief Immigration Officer Bail (CIO bail):

यह जमानत Chief Immigration Officer (CIO) के द्वारा दी जाती है जो गृह मंत्रालय का हिस्सा है। आप CIO जमानत के लिए आपके हटाने केंद्र में गृह मंत्रालय को लिख के आवेदन कर सकते हैं। वे प्रासंगिक CIO को आपका अनुरोध भेज सकते हैं।

आम तौर पर CIO दो गारंटियों रखना पसंद करते हैं जो बहुत प्रदान करते हैं (कम से कम 5000 प्रत्येक)। इस तरह की जमानत मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए यह पुस्तिका केवल आपको एक आप्रवासन न्यायाधीश से जमानत लेने के लिये आवेदन करने के बारे में बताता है।

कभी कभी एक कानूनी प्रतिनिधि आपको बता देंगे कि उनहोंने जमानत के लिए आवेदन किया है। इसका मतलब CIO जमानत हो सकता है। जमानत के लिए पूछने के पत्रों को सुरक्षित रखें। यदि आपको उत्तर प्राप्त नहीं होता है, और आप फिर आव्रजन न्यायाधीश से जमानत के लिए आवेदन करते हैं, न्यायाधीश को इन पत्रों का दिखाने के उपयोगी है।

CIO अपने कार्यालय में फैसला करेगा। आप अदालत में सुनवाई के लिए नहीं जायेंगे और आम तौर पर आप CIO से बात नहीं करेंगे। CIO आपकी गारंटियों को उनके विवरण की जांच और उन्हें दायित्वों को समझने के लिए कॉल करेंगे।

एक आव्रजन न्यायाधीश से जमानत:

यह पुस्तिका एक आप्रवासन न्यायाधीश से जमानत के साथ सौदे करती है क्योंकि इस प्रकार की जमानत आपके आवेदन का स्वतंत्र समीक्षा है। भले ही आपके पास वकील न हो, आप फिर भी आव्रजन न्यायाधीश को रिहाई के लिये पूछ सकते हैं।

जब इस पुस्तिका में जमानत के बारे में बात करते हैं हम एक आव्रजन न्यायाधीश से जमानत के बारे में बात कर रहे हैं। इसे IAC जमानत के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि आपका मामला अदालत में पहले आप्रवासन न्यायाधीश ने सुना जाएगा (आव्रजन और शरण चैंबर)।

कौन जमानत के लिए आवेदन कर सकता है?

जो कोई भी आव्रजन हिरासत में लिया गया है और 7 दिनों के लिए ब्रिटेन में रह चुका है जमानत के लिये आवेदन कर सकता है।

उच्च न्यायालय द्वारा:

न्याय का उच्च न्यायालय (जो आम तौर पर उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता है) इंग्लैंड और वेल्स के लिए वरिष्ठ न्यायालयों में से एक है। अन्य चीजों के अलावा, उच्च न्यायालय में अन्य न्यायालयों और अधिकारियों द्वारा बनाये गये फैसलों को देखा जा सकता है। (गृह मंत्रालय सहित)।

अगर गृह मंत्रालय ने आपको गलत तरह से हिरासत में लिया है आप उच्च न्यायालय से पूछ सकते हो सकता है कि आपकी नजरबंदी कानून के भीतर या नहीं है। यह एक "न्यायिक समीक्षा के लिए आवेदन" कहा जाता है या 'JR'.

उच्च न्यायालय जाना जटिल और महंगी है और आम तौर पर मदद करने के लिए एक वकील और कानूनी सहायता की आवश्यकता होगी।

अगर आपका मुख्य आव्रजन या शरण मामले सफल होता है:

अगर आप अपने मुख्य आव्रजन या शरण मामले में सफल रहे हैं अधिकारियों को अब आपको गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है।

अध्याय 4. कानून

यह खंड जमानत के लिए आवेदनों पर लागू होते कानून के बारे में बताता है। कानून के बारे में चरणों में सोचने सबसे अच्छा है:

प्रथम चरण	स्वतंत्रता का अधिकार	शुरुआती बिंदु है कि हर किसी को स्वतंत्रता का अधिकार है। यह अधिकार अंग्रेजी कानून का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और यह Article 5 of the European Convention on Human Rights के द्वारा भी आपको मिलता है। स्वतंत्रता का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार है।
चरण दो	कुछ लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है	Article 5 कहता है कि कुछ मामलों में सरकार एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का हक ले सकती है। अदालत आपके आज़ाद होने व आप को गिरफ्तार करने के गृह मंत्रालय के अधिकार का संतुलन करेगी।
चरण तीन	गृह मंत्रालय के कानून के भीतर कार्रवाई करनी चाहिए	जब तक वे कानून का पालन करते हैं, गृह मंत्रालय और पुलिस आपके आज़ाद होने का हक ले सकते हैं।
चरण चार	नजरबंदी के लिए क्या विकल्प हैं?	गृह मंत्रालय को कानून का पालन करने के लिये यह दिखाना है कि अगर वे आप को हिरासत में नहीं रखते आप उनके साथ संपर्क नहीं करेंगे। यह presumption in favour of liberty कहा जाता है।
चरण पाँच	क्या फरार जोगे? आपका हटाने अवश्यंभावी है?	जब आप जमानत के लिये आवेदन करते हैं, मुख्य सवाल है कि क्या आप भाग जाओ और क्या ब्रिटेन से अपना हटाना जल्द ही होगा।

हिरासत की नियमित समीक्षा

कानून कहता है कि गृह मंत्रालय को आपकी हिरासत को नियमित समीक्षा देना आवश्यक है सुनिश्चित करने के लिए के आपका हिरासत में रहना आवश्यक है। यह एक महीने में एक बार किया जाता है और आपको मासिक प्रगति रिपोर्ट दी जानी चाहिए (MPRs)।

अगर आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों में या कानून में परिवर्तन है तो गृह मंत्रालय को आपकी हिरासत की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

- जब आपको हिरासत में लिया जाता है हिरासत के लिए कारण तुरंत आपको दिया जाना चाहिए। यह एक फार्म पर कहा जाता है जिसे IS91R कहते हैं। अगर आपको यह नहीं दिया जाता है, तो आप गृह मंत्रालय से पूछें।
- मासिक प्रगति रिपोर्ट एक पत्र के रूप में हैं (IS151F). यदि आपको यह प्राप्त नहीं है, आपको एक परिचारिका से पूछना चाहिए। आप अपने IS151F रूपों के लिए किसी भी अनुरोध की प्रतियां रखें।

अध्याय 5 प्रतिभू

यह खंड आपको बताता है:

- प्रतिभू क्या है?
- आपको जमानत के लिए आवेदन करने के लिए प्रतिभू की ज़रूरत है?
- कौन प्रतिभू बन सकता है?
- कितने पैसे की आवश्यकता है?
- प्रतिभू क्या करता है?
- प्रतिभू के पैसे का क्या होता है?

प्रतिभू क्या है?

प्रतिभू अदालत को वादा करता है, कि वह:

- यदि आप नजरबंदी से रिहा होते हैं अधिकारियों के साथ संपर्क रखे।
- भुगतान करेंगे यदि आप भाग जाओ या अपनी रिहाई के द्वारा निर्धारित शर्तों को नहीं रखते। पर वह कम भुगतान करेंगे अगर उनहोंने आपको रोकने का प्रयास किया था।

आपको जमानत के लिए आवेदन के लिए प्रतिभू की ज़रूरत नहीं है. मगर, एक प्रतिभू ज़मानत सफल होने की संभावना बड़ा सकते हैं।

स्कॉटलैंड में एक प्रतिभू को 'cautioner' कहा जाता है। मगर प्रतिभू का भुगतान अग्रिम में अदालत को दिए जाने की ज़रूरत है।

आपको जमानत के लिए आवेदन करने के लिए प्रतिभू की ज़रूरत है?

नहीं। अगर आपके पास प्रतिभू नहीं है, आप अभी भी जमानत प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, एक प्रतिभू जमानत के अनुदान की अधिक संभावना कर देगा।

अगर आपके पास प्रतिभू नहीं है, आपको अन्य कारणों से सोचने की जरूरत होगी न्यायाधीश को समझाने के लिए कि आप स्वतंत्रता मिलने पर भागोगे नहीं। गृह मंत्रालय शायद आप के फरार होने की संभावना के बारे में कहेंगे।

यदि आप के पास प्रतिभू है, आपको जमानत आवेदन फॉर्म पर अपने प्रतिभू का ब्यौरा डालने की आवश्यकता होगी। आप अपनी प्रतिभू के साथ अपने संबंधों की व्याख्या करने के लिए जमानत टेम्पलेट के लिए बयान / आधार का उपयोग कर सकते हैं।

कौन प्रतिभू बन सकता है?

ब्रिटेन में जो भी कानूनी तौर पर है, वह प्रतिभू बन सकता है। इसमें छात्र वीजा के साथ लोग, शरणार्थी की स्थिति के साथ लोग, वर्क परमिट के साथ लोग, और यूरोपीय संघ के नागरिक भी शामिल हैं। शरण चाहने वालों प्रतिभू के रूप में खड़े हो सकते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, वे प्रतिभू हो सकते हैं, लेकिन उनके पास काफी पैसा होना चाहिए।

अगर आपके प्रतिभू पर आपराधिक विश्वास है, वे शायद प्रतिभू नहीं हो सकते।

यह अपने जमानत के लिए एक अच्छा विचार है कि वह आप से आप कुछ बार मिले, ताकि वह आव्रजन न्यायाधीश को समझा सकते हैं कि वे आपको काफी अच्छी तरह से जानते हैं और आपको अधिकारियों के साथ संपर्क में रखेंगे। अगर आप की कई बार मुलाकात नहीं की है, पर आप टेलीफोन पर कई बार बात कर चुके हैं, न्यायाधीश उनके साथ खुश हो सकते हैं।

आपके प्रतिभू को जमानत की सुनवाई में भाग लेने की जरूरत है क्योंकि आव्रजन न्यायाधीश उनसे बात करना चाहेंगे। आम तौर पर अगर प्रतिभू अदालत में नहीं आया है, आव्रजन

बहुत से लोग BID से पूछते हैं "मेरा प्रतिभू लंदन में रहता है। जमानत की सुनवाई दूसरे सुनवाई केंद्र में सूचीबद्ध की जा सकती है?" जवाब है नहीं।

आपके प्रतिभू को पृष्ठ 24 देखना चाहिए पतह करने के लिये कि वे किस अदालत में जाना है। यह प्रत्येक निरोधक केंद्र के लिए अलग है।

कितने पैसे की जरूरत है?

- कोई तय राशि नहीं है।
- प्रतिभू जो राशि खोना नहीं चाहते उनहे वह राशि का प्रस्ताव करना होगा। कुछ लोगों के लिए यह £ 100 हो सकता है, लेकिन दूसरों के लिए यह £ 2000 या अधिक हो सकता है।
- यह पैसा प्रतिभू का होना चाहिए और 3 महीने के लिए लगातार उनके बैंक खाते में रहना चाहिए। यह उदाहरण के लिए, दोस्तों से उधार लिया या बैंक ऋण नहीं हो सकता।
- प्रतिभू को पिछले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट और / या वेतन का सबूत लाना होगा न्यायाधीश को साबित करने के लिए कि उनके पास पैसा है।
- प्रतिभू से पैसे नहीं लिया जाएगा जब तक आप भाग जाओ।

आपको अपने प्रतिभू के बारे में अदालत को कब बताना है?

आपको धारा 4 में बी 1 जमानत आवेदन फार्म में अपने प्रतिभू का ब्यौरा देना होगा क्योंकि गृह मंत्रालय उनकी उपयुक्तता की जांच करने के लिए आपको जमानत सुनवाई से पहले आपके प्रतिभू पर पुलिस की जांच करवाना चाहेगे। एक व्यक्ति सुनवाई के दिन अदालत में आ कर प्रतिभू नहीं बन सकता। सभी जाँचों के लिये आम तौर पर अदालत और गृह मंत्रालय को आपके प्रतिभू की कम से कम 48 घंटे के नोटिस की जरूरत है।

प्रतिभू क्या करता है?

आपको रिहा करने से पहले	आपको रिहा करने के बाद
<ul style="list-style-type: none"> • आपको जमानत फार्म की प्रतिभू अनुभाग को भरने के लिये जानकारी देता है। • वह अदालत में आता है। वे अपने सभी दस्तावेजों को लाता है। 	<ul style="list-style-type: none"> • वह देखता है कि आप अपनी रिहाई की शर्तों को रख रहे हैं। • वह गृह मंत्रालय को बताता है अगर वह सोचता है कि आपने अपनी रिहाई की शर्तों को तोड़ा है • वह किसी भी जमानत नवीकरण की सुनवाई के लिए आता है।

प्रतिभू के पैसे का क्या होता है?

अगर आप रिहाई की सभी शर्तों का पालन करते हैं	अगर आप अपनी रिहाई की शर्तों को नहीं रखते	अगर आप ब्रिटेन में रहने के लिए अस्थायी प्रवेश या अनुमति दी जाती है या ब्रिटेन से हटाये जा रहे हैं
आपके प्रतिभू को अदालत को पैसे देने की जरूरत नहीं होगी	आपके प्रतिभू को "एक जब्ती सुनवाई" नामक एक अदालत की सुनवाई के लिए आने के लिए कहा जाएगा। इस सुनवाई में आव्रजन न्यायाधीश आपके प्रतिभू को कितना पैसा खोना चाहिए तय करेगा।	आपके प्रतिभू की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है और वे पैसे खोने के खतरे में नहीं रहते।

अगर आपके ब्रिटेन में कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं हैं क्या आपको प्रतिभू मिल सकता है?

कई शरण चाहने वालों और प्रवासियों के ब्रिटेन में दोस्त या रिश्तेदार नहीं हैं। यह संभव है कि आप एक आगंतुक या धर्मार्थ संगठन के साथ संबंध का निर्माण करे जो प्रतिभू होने के लिए प्रस्ताव करे। सामान्य में, हालांकि, बंदियों को कोई संगठन प्रतिभू प्रदान करता है।

अध्याय 6. आवास

जमानत के लिए आवेदन करने से पहले, आपको रहने के लिए कहीं न कहीं खोजना होगा। न्यायाधीश आवास के बिना आपको रिलीज नहीं करेगे।

आपके पास कुछ विकल्प हैं:

एक दोस्त या रिश्तेदार के साथ आवास

आपको आवास दे रहे व्यक्ति का ब्रिटेन में कानूनी तौर पर होने की जरूरत है। उसे ब्रिटिश होने की जरूरत नहीं है।

आवास प्रदाता को आम तौर पर ये दिखाने की जरूरत होगी:

- एक पहचान दस्तावेज - उदाहरण के लिए, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्थिति कागजात (शरणार्थी के दर्जा कागजात, अनिश्चितकालीन / असाधारण अवकाश रहने के लिए कागजात)।
- वह आवास, किरायेदारी के समझौते / किराया किताब और मकान मालिक से एक किराए का पत्र। (किरायेदारी के समझौते से स्पष्ट नहीं है तो लोगों को वहाँ रहने के लिए अनुमति है)
- अगर वह आवास का मालिक है, घर के मालिक होने का सबूत।

अगर आवास दे रहा व्यक्ति अदालत में आता है, तो आपके जमानत आवेदन मजबूत हो जाएगा। अगर आवास देने वाला व्यक्ति अदालत में नहीं आया है न्यायाधीश आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। अगर वह अदालत में नहीं आ सकते हैं, आव्रजन न्यायाधीश पर पत्र में अदालत में नहीं आने का कारण और आवास की पुष्टि लिखा है, यह स्वीकार्य हो सकता है।

धारा 4 जमानत टीम - शरण समर्थन से आवास

शरण समर्थन जमानत के लिए आवेदन करने के लिए कुछ शरण चाहने वालों और बंदियों के लिए आवास और सहायता की व्यवस्था करता है। यह गृह मंत्रालय में एक विभाग है। शरण समर्थन जमानत टीम रिलीज पर जाने वाले लोगों के लिये आवास प्रदान करता है अगर उनके पास आवास नहीं है। शरण समर्थन आवास के बारे में

अधिक जानकारी के लिए कृपया BID दारा 4 व इस पुस्तक की पीठ में फैक्टशीट देखें।

**अगर आप आपराधिक लाइसेंस के तहत हैं
अगर आप आपराधिक लाइसेंस के तहत हैं तो आपको पता होना चाहिये कि
आपको जमानत के लिए आवेदन करने से पहले परिवीक्षा सेवाओं द्वारा जाँच की किसी
भी प्रस्तावित पता पाने की आवश्यकता होगी। आपको इस बारे में अपनी परिवीक्षा
अधिकारी से बात करने की आवश्यकता होगी। (इस पर BID फैक्टशीट देखे)**

अध्याय 7. जमानत याचिका

प्रपत्र (B1)

यह खंड आपको बताता है:

- किस आवेदन फार्म का जमानत के लिए आवेदन करने के लिए प्रयोग किया जाता है?
- कैसे प्रपत्र भरे?
- कहाँ अपना फार्म भेजे?
- अदालत में अपने फार्म को भेजने के बाद क्या होता है?

जमानत आवेदन फार्म

जमानत के लिए आवेदन करने के लिए आपको "Application to be released on bail" फार्म भरना होगा। इसे बी 1 फार्म भी कहा जाता है। आप इस पुस्तिका के पृष्ठ 38 पर इस पा सकते हैं। आप इसे कॉपी या हटाना केंद्र पुस्तकालय से प्राप्त कर सकते हैं।

कैसे प्रपत्र को भरे

आप जितना भर सकते भरें। भले ही आपके पास सभी जानकारी नहीं है, आप जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

	Part 1- Personal Details	क्या लिखना चाहिये?
A	Home office Reference Number	<ul style="list-style-type: none">• यह संख्या अदालत को आपकी फ़ाइल को खोजने के लिए मदद करता है• आपको यह संख्या गृह कार्यालय के पत्रों पर मिलेगा। यह आमतौर पर आपके नाम के पहले पत्र और 6 संख्याओं के संग होगा जैसे H239854

		<ul style="list-style-type: none"> • अगर आपके पास ये नहीं है, गृह कार्यालय का बंदरगाह संदर्भ संख्या डाले • अगर आपके पास ये दोनो नहीं है तो आप पता नहीं लिखिए
B	Your last name	<ul style="list-style-type: none"> • यहां अपने परिवार का नाम डालो • अगर गृह मंत्रालय या हवालात केंद्र में अलग नाम से आपको जानते हैं, तो ये नाम डाल ताकि आपके जमानत याचिका के बारे में सभी पत्र आप को दिये जा सके
C	Your other names	यहां अपने परिवार के नाम को छोड़कर अपने सभी नाम लिखो

D	Address where you are detained	यह निकालना केंद्र का पता है ताकि वे सुनवाई की तारीख सही जगह पर भेज सके
E	Your date of birth	इस तरह से अपने जन्म की तारीख लिखें (दिन / महीना / साल), उदाहरण 23/05/75.
F	Are you male or female?	आप पुरुष या महिला हैं - सही बॉक्स में क्रॉस डालें
G	Nationality or Citizenship	<ul style="list-style-type: none"> • इसका मतलब है आप किस देश के रहने वाले हैं • आप यहाँ राष्ट्रियता व नागरिकता लिखें • अगर आपके पास कोई राष्ट्रियता नहीं है तो आप 'राज्यविहीन' लिखें • अगर गृह मंत्रालय के पास गलत देश तो दोनों लिखो इस तरह से मैं केन्याई हूँ, लेकिन गृह मंत्रालय कहता है कि मैं युगांडा हूँ
H	Date of arrival in the UK	आप इस तरह से ब्रिटेन में प्रवेश करने की तिथि लिखें 23/01/06. अगर आपको दिन याद नहीं तो केवल महीना याद है तो इस तरह से लिखें: 01/06.
I	Do you have a representative?	यदि आप अपने स्वयं जमानत आवेदन कर रहे हैं, नहीं कहने वाले खाने पर निशान लगाएँ

	Section 2- About your application	क्या लिखना चाहिये?
A	Do you have an appeal pending?	यह आपसे पूछ रहा है कि आप मुख्य आत्रजन मामले में पहली स्तरीय न्यायाधिकरण में सुनने का इंतज़ार कर रहे हैं? (आप्रवासन एवं शरण चेंबर)
B	Have you lodged a bail application before?	यदि इससे पहले आपने अदालत में जमानत आवेदन किया है? अदालत को यह आपकी फ़ाइल को ढूँढने के लिए चाहिये।
C	The address you plan to live, if your application for bail is granted	अगर आपको जमानत दी जाती है तो जहाँ आप रहेगे, वहाँ का पता लिखें। यह जरूरी है कि आप सही पता और पिन कोड लिखें क्योंकि गृह मंत्रालय इस पते जाँच करेगा। कृपया इस पुस्तिका का अध्याय 6 आवास पढ़ें।

	Section 3 - Personal information	क्या लिखना चाहिये?
A	Recognisance	यह पैसा आपका है, आपके प्रतिभू का नहीं, जो आप आगे रख सकते हैं। अगर आप फरार हो कर दोबारा हिरासत में लिये जाते हैं तो आप ये पैसा देना होगा। BID कहता है कि यहाँ "₹ 1" डाले
B	Deposit	यह केवल स्कॉटलैंड में हिरासत में लोगों के लिए लागू होता है। BID कहता है कि यहाँ कम से कम "₹ 1" डाले।
C	Appellant's signature and date	यहाँ हस्ताक्षर करें और तारीख लिखे
D	Name of appellant	यहाँ अपना नाम लिखे
E	Would you like to be considered for electronic monitoring	गृह मंत्रालय फोन कॉल और टैगिंग के द्वारा लोगों के साथ संपर्क में रखने की कोशिश कर रहा है। अगर आप खुश हैं, तो 'हाँ' बॉक्स में एक क्रॉस डाले। गृह मंत्रालय को आपको हिरासत के विकल्प इलेक्ट्रॉनिक निगरानी पर विचार करने की जरूरत है।

	Section 4 - About your sureties	क्या लिखना चाहिये? (अध्याय 5 देखें)
A	Surname or Family name	यहाँ अपने प्रतिभू का उपनाम लिखो। यह महत्वपूर्ण है कि आपके प्रतिभू का नाम सही है क्योंकि गृह मंत्रालय जांच करेंगे। यदि संभव हो, अपने प्रतिभू के पासपोर्ट से नाम की नकल करे।
B	Other names	यहाँ अपने प्रतिभू का पहला नाम प्रतिभू अगर अपना प्रतिभू अन्य नामों का उपयोग करता है, तो यहाँ वे भी डाले।
C	Address	यहाँ अपने प्रतिभू का पता लिखे। यह महत्वपूर्ण है कि पता सही है अन्यथा गृह मंत्रालय उनके चेक नहीं कर सकेंगे और आपके प्रतिभू अनुमोदित नहीं किया जा सकता है।
D	Telephone Number	यहाँ अपने प्रतिभू का टेलीफोन नंबर डाले। यह आपके प्रतिभू का मुख्य टेलीफोन नंबर होना चाहिये क्योंकि यह उनके संग संपर्क करने के लिये है।

E	Relation to Applicant	कैसे आप अपने प्रतिभू को जानते हो? परिवार या एक दोस्त के माध्यम से: वे एक पूर्व नियोक्ता या काम सहयोगी रहे हैं?
F	Immigration Status	प्रतिभू कानूनी तौर पर ब्रिटेन में होना चाहिए। वे किस स्थिति से ब्रिटेन में है? ब्रिटिश नागरिक, ILR, छात्र वीजा, आदि?
D	Occupation	आपका प्रतिभू क्या नौकरी करता है? बेरोजगार या सेवानिवृत्त लोग भी प्रतिभू हो सकते हैं, तो यह लिखें
E	Recognisance	अपने प्रतिभू कितना पैसे दे सकते हैं?
F	Date of birth	यहाँ अपने प्रतिभू की जनम की तारीख रखो।
G	Nationality	यहाँ अपने प्रतिभू की राष्ट्रियता (एँ) रखो
H	Passport number	यहाँ प्रतिभू का पासपोर्ट नंबर डालो

	Section 5 – The grounds on which you are applying for bail/statement //grounds for bail'	
		इस बॉक्स में 'please see attached statement where I have explained the reasons why I think I should be given bail' लिखें। BID सोचता है कि आपको यह कारणों को अलग कागज पर लिखना चाहिये क्योंकि इस बॉक्स में पर्याप्त जगह नहीं है। यह लिखने में मदद के लिए एक टेम्पलेट के लिए पृष्ठ 43 (संलग्न) देखें।

	Section 6 – At the hearing of your application	
A	Will you or your surety need an interpreter?	अगर आप या आपके प्रतिभू अच्छी तरह से अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, तो आपको अपनी सुनवाई में दुभाषिया के लिए पूछना चाहिए। आप दुभाषिया के लिए भुगतान नहीं करते।
B	If you or your legal representative has a disability	आप या आपके प्रतिभू को अगर कुछ भी खास जरूरत है, तो इसे यहाँ डालें, उदाहरण के लिए, आप या आपके प्रतिभू को सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए या निर्धारित समय पर दवा लेने की जरूरत के लिए मदद की

		जरूरत हो सकती है।
C	The hearing in respect...	अगर आप एक वीडियो लिंक से सुनवाई नहीं करना चाहते हैं, अदालत में व्यक्ति में प्रदर्शित करना चाहते हैं, यहाँ आप अपने कारण दे सकते हैं। आपके अनुरोध है की संभावना नहीं है अगर आपके पास वीडियो लिंक सुनवाई नहीं करने के लिए अच्छे कारण नहीं है

	Section 7- Representation	
	All sections	If you are representing yourself, you do not write anything in this section.

	Section 8 - Declaration by appellant	यदि आप अपने आप का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपको इस खंड में कुछ भी नहीं लिखना होगा
A		यहां हस्ताक्षर करें।
B		अपना नाम लिखें।

फार्म कहां भेजे

जब आप प्रपत्र भर चुके हैं, आपको अपने निकालना केंद्र के साथ संबंधित अदालत में जमानत क्लर्क को इसे भेजना होगा। सबूत के लिये फैंक्स द्वारा अपने फार्म को भेजना सबसे अच्छा है। BID को फार्म न भेजें।(जब तक हम न कहे)

यहाँ विभिन्न अदालतों के संपर्क विवरण हैं:

निकालना केंद्र	अदालत	फैंक्स नंबर
Brook House	Taylor House	0870 739 4055
Campsfield House	Newport	0870 739 4406
Colnbrook	York House	0870 761 7670
Dover	Taylor House	0870 739 4055

Dungavel	Glasgow	0141 242 7555
Harmondsworth	York House	0870 761 7670
Haslar	York House	0870 761 7670
Lindholme	Bradford	0870 739 4452
Morton Hall	Stoke, Bennett House	0870 324 0108
Tinsley House	Taylor House	0870 739 4055
The Verne	Newport	0870 739 4406
Yarl's Wood	Birmingham IAC	0870 739 5792
Yarl's Wood (fast track cases)	Yarl's Wood IAC	0123 422 4411
Prisons (HMPs)	कृपया अपने जेल में अधिकारी से पूछें	

जब आपने अदालत में फार्म भेज दिया है, अगले दिन उन्हें फोन करके पूछना सबसे अच्छा है। आपको नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर पर कॉल करने की आवश्यकता होगी। जिस क्लर्क को आपने फार्म फैंक्स किया, उसे पूछें। उदाहरण के लिए यदि आप डोवर में हिरासत में हैं तो, आप टेलर हाउस में जमानत क्लर्क से बात पूछें। अगर आपको अदालत में फार्म भेजने के बाद आपने कुछ भी नहीं सुना है आप जमानत क्लर्क से संपर्क करने के लिए इस नंबर का उपयोग कर सकते हैं।

सभी आप्रवासन न्यायालयों के लिए एक टेलीफोन नंबर है:

आईएसी सहायता केंद्र के लिए टेलीफोन नंबर	0300 123 1711
---	---------------

आपके प्रपत्र भेज देने के बाद क्या होता है?

अदालत एक प्रतिलिपि गृह कार्यालय को भेज देंगे जो 'जमानत सारांश' लिखेंगे जमानत सारांश अध्याय 9 सुनवाई की तारीख में समझाया गया है।

अदालत आपको सुनवाई की तारीख भेजेगी। आप अदालत जाकर आव्रजन न्यायाधीश को जमानत के लिए अपना आवेदन करेंगे व वह फैसला करेंगे।

आम तौर पर सुनवाई की तारीख बी 1 आवेदन फार्म जमा करने के 3 दिन के भीतर है, लेकिन यह लंबे समय के बाद हो सकता है। अगर आप अदालत एक विशेष दिन जाना चाहते हैं अपनी तिथि लेखन में उन्हें भेजे। आपकी चुनि तारीख आपके आवेदन के कम से कम 3 दिन बाद होनी चाहिये।

अध्याय 8 जमानत के लिए कारण

यह अध्याय आवेदन की धारा 5 (बी 1) समझाता है।

बी 1 की धारा 5 को 'the grounds on which you are applying for bail' कहते हैं। यह इस तरह दिखता है:

Section 5	The grounds on which you are applying for bail
	<ul style="list-style-type: none">• In this section you must set out all the reasons why you think you should be released.• If you have had a previous application for bail refused, you <u>must give full details</u> of any additional grounds or change in circumstances since then.• Give as much detail as possible: use additional sheets of paper if you need to, and attach them to this form.
इस बॉक्स में, अपनी रिहाईकिये के लिये सब कारण दे।	

आप बॉक्स में देख सकते हैं 'आपको क्यों लगता है कि आपको रिहा किया जाना चाहिए, सब कारण दे।'

यह आवेदन फार्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपका आव्रजन न्यायाधीश को जमानत की वजह देने का मौका है। हम आपको जमानत के लिए अपने आधार लिखने के लिए अलग कागज के टुकड़ा का प्रयोग करने का सुझाव देते हैं।

अगले कुछ पृष्ठ आपको जमानत के लिए अपने आधार को लिखने के लिए मदद कर सकते हैं। आप पर जो लागू है, जो वर्गों पढ़ें।

प्रारंभ करने से पहले, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं:

- आपको बी 1 फार्म पर ही जमानत के लिए अपने आधार को लिखने की जरूरत नहीं है। आप कागज के अतिरिक्त शीट का उपयोग कर सकते हैं। हम आपको इस किताब के पीछे हमारी टेम्पलेट हैं का उपयोग करने का सुझाव देते हैं।
- शरण मुद्दों के बारे में बात करने के लिए जमानत बयान के आधार का प्रयोग न करें। उदाहरण के लिए, मत कहो , "अगर मुझे अपने देश को लौट जाना हो मुझे मारा जाएगा"। यह सच हो सकता है, लेकिन न्यायाधीश को लग सकता है कि आप भाग जाएंगे। यह धारणा आपको नहीं देना चाहिये।

जमानत वक्तव्य के लिए अपने आधार

लोगों के कई अलग अलग प्रकार के कारणों से हिरासत में रखा जाता है पर हिरासत में सबसे अधिक लोगों को यह ही कारणों के लिए जमानत से इनकार कर दिया हो जाता है। लोगों को जमानत से इनकार कर दिये जाने के सबसे आम कारण हैं:

1. न्यायाधीश को लगता है कि नजरबंदी से रिहा हो कर 'फरार होने की संभावना' है।
2. न्यायाधीश को लगता है जल्द ही ब्रिटेन 'से हटाये जाने की संभावना है'।

एक तीसरे कारण का अक्सर कई मामलों में जमानत मना करने के लिए प्रयोग किया जाता है:

3. न्यायाधीश सोचता है कि वे दोबारा अपराध की संभावना है। यह केवल अतीत में अपराध के दोषी पाये गये लोगों के लिए लागू होता है।

न्यायाधीश अन्य कारणों का उपयोग कर सकता है, लेकिन यहाँ उल्लेख तीन सबसे आम हैं। इसलिए हम आपको यह तीन कारण न लागू होने के कारणों को जमानत बयान में शामिल करने का सुझाव देते हैं।

मैं जमानत दे दी जानी चाहिए कारणों क्यों

• मैं फरार क्यों नहीं होगा

न्यायाधीश को जमानत प्रदान करने के और शर्तों के रखरखाव को बनाए रखने के लिए आप पर भरोसा क्यों करना चाहिए के कारणों को देने की जरूरत है।

गृह मंत्रालय जमानत सारांश व न्यायाधीश के सामने आपके सिहा होने पर भागने की संभावना की बात करेगा।

गृह मंत्रालय इस बात को कैसे साबित करने की कोशिश करेंगे? (यदि आपके पास एक है) वे आपराधिक इतिहास का उल्लेख करेंगे। वे कहते हैं: 'इस व्यक्ति ने अतीत में आव्रजन कानूनों को तोड़ा है और इसलिए फिर करेंगे', या 'इस व्यक्ति ने अतीत में एक अपराध किया है, और इसलिए फिर करेंगे'। गृह मंत्रालय 'इस व्यक्ति पर भरोसा न करें' का संदेश देने की कोशिश करेंगे। वे तहेगे कि हिरासत में रखना ज्यादा सुरक्षित है।

आप गृह मंत्रालय को गलत साबित करना किसी भी तर्क का उपयोग करे।

यहाँ आपके उपयोग के लिये कुछ तर्क हैं:

- आपके अतीत में नियमों को तोड़ना के बारे में शायद गृह मंत्रालय गलत है। अगर आपके मासिक प्रगति रिपोर्ट में तथ्यात्मक त्रुटि है, तो या जमानत सारांश में, आप न्यायाधीश को इसके बारे में कहना चाहिए।

- शायद आप एक शरण दावा या आव्रजन मामले पर निर्णय के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, या ब्रिटेन में रहने के लिए एक अपील कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से, आप एक सकारात्मक निर्णय के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, और फरार होने या जमानत शर्तों को तोड़ने से अपने मामले को नुकसान होगा। जब तक मामले का फैसला किया जा रहा है, भागने का तर्क नहीं होगा।
- शायद आपके प्रतिभू है, या आप परिवार या करीबी दोस्तों के साथ रहेंगे। इस मामले में, आप एक ही स्थान पर रहने के लिए एक मजबूत कारण गे सकते हैं। यह विशेष मामला है अगर आप एक बीमार बुजुर्ग रिश्तेदार या किसी बच्चे की देखभाल कर रहे हैं।
- शायद आपको रोग है, या आप उपचार प्राप्त कर रहे तो एक ही स्थान पर रहना। ऐसी हालत में, आपके दूर जाने की संभावना नहीं है।
- कुछ मामलों में, गृह मंत्रालय का आपको फरार जो जाने का विश्वास करने के लिए मजबूत कारण होंगे। आपके अतीत में रिलीज की टूटी शर्तें हैं, या जो भी कारण के लिए हस्ताक्षर करने के लिए बंद कर दिया हो सकता है। इस स्थिति में, यह एक न्यायाधीश आप पर दूसरी बार भरोसा करने कि संभावना नहीं लग सकती है। हालांकि, आप यह बहस कर सकते हैं:
- क्यों आप पहली बार फरार हो गये या अपनी शर्तों को तोड़ दिया? आप न्यायाधीश को कारण की व्याख्या कर सकते हैं, तो शायद वे सहानुभूति दे सकते हैं।
- कुछ शर्तों को तोड़ने के बाद कुछ बदल गया है? शायद आपको लत की समस्या है, जो अब संबोधित कर रहे हैं, या शायद आप नियमित रूप से हस्ताक्षर करने से रोके गये थे। आप चीजों को व्याख्या करें, तो न्यायाधीश भरोसा करने के लिए और अधिक संभावना हो सकती है।

महत्वपूर्ण: यदि आप सबूत के साथ अदालत में जो साबित कर सकते हैं यह मजबूत हो जाएगा। यदि आपको एक रोग है, यह अदालत में डॉक्टर की रिपोर्ट पेश करना बेहतर है।

याद रखें: अगर आप शर्तों को टूड़ या अतीत में फरार है, तो आपको अपनी गलतियों के बारे में ईमानदारि दिखा देनी चाहिये, यह न्यायाधीश के सामने स्वीकार करना बेहतर है। आप अपने आप को माफ करने की कोशिश करते हैं, तो आप कुटिल प्रकट हो सकते हैं।

• क्यों मैं जल्द नहीं निकाला जाएगा

आप हमेशा एक कारण के लिए हिरासत में लिये जाते हैं, और कारण यह है कि ब्रिटेन से आप को दूर याद रखने के लिये।

अगर आप सफलतापूर्वक से बता सकते हैं कि हटाने के लिए एक उचित समय के भीतर संभावना नहीं है तो आप को रिहा किया जाना चाहिए।

बेशक, पिछले वाक्य में शब्द 'उचित' है लेकिन गृह मंत्रालय को लगभग हमेशा हटाने के लिये दिन, सप्ताह, या कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मामलों में, महीनों लग सकते हैं, हालांकि वह कहते हैं कि हटाना, 'सिर पर' है।

यहाँ आप कर सकते हैं कुछ तर्क हैं:

- शायद आपका अभी भी अदालत में मामला है, या एक न्यायिक समीक्षा है। जब तक आपका ब्रिटेन की अदालतों में मामला है, तब तक आपका हटाया नहीं ले सकता।
- शायद जिस देश में आप रहे हैं वे यात्रा के लिये दस्तावेज बना रहे हैं क्योंकि आपके पास पासपोर्ट नहीं है। कुछ देशों को इस प्रक्रिया में लंबा समय लग सकता है - अपने दूतावास आपके हटाने की व्यवस्था कर रहे हैं, यह आपको हिरासत में नहीं रखे जाने का और कारण है।
- शायद अपने देश में राजनीतिक स्थिति की वजह से यात्रा दस्तावेज होने पर भी वहाँ नहीं जाया जा सकता। हाल के वर्षों में, ईरान,

इराक, सीरिया और लीबिया जैसे देशों को हटाने समस्याग्रस्त रहा है। अगर आपका निष्कासन अपने देश के लिए नहीं हो रहा है तो निष्कासन फिर से शुरू होने के बाद तक आप को रिहा किया जाना चाहिए।

- शायद आप हिरासत में बहुत लंबे समय के लिए हैं। गृह मंत्रालय कहता है कि निकालना 'आसन्न' है लेकिन कि कई महीनों के लिए बहस के बाद आपको अब तक नहीं निकाला तो वह जलत हो सकते हैं।

याद रखें: अगर आपके हटाने की तैयारी है, और विमान बोर्ड करने के लिए मना कर दिया है, या आप गृह मंत्रालय और अपने दूतावास के साथ साक्षात्कार के लिए लिये गये हैं और यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने में मदद करने के लिए जानकारी देने से इनकार कर दिया है, तो यह रिहाई अधिक मुश्किल है। इन परिस्थितियों में, न्यायाधीश अक्सर कहते हैं, आप चाहते हैं कि यदि आप हटाया जा सकता है और इसलिए है आप अपने खुद के निरोध के लेखक हैं (यह आपकी गलती है। यदि आप गृह मंत्रालय और अपने दूतावास के साथ सहयोग न करने की इच्छा करते हैं, यह आपकी पसंद है, लेकिन आप के सहयोग न करने का जमानत होने पर असर की

• क्यों मुझसे फिर से जुर्म नहीं किया जाएगा

अगर आप ने पहले जुर्म किया है आप एक अतिरिक्त समस्या का सामना करेंगे, गृह मंत्रालय कहेगा कि अगर आप अपनी सजा पूरी कर चुके है, आपको हिरासत में रखा जाना चाहिए ताकि आप दोबारा जुर्म न करे।

गृह मंत्रालय अगर आपके दोबारा जुर्म करने की संभावना है के बारे में कहे, तो यहाँ आपके कुछ जवाबी तर्क हैं:

- आप कह सकते हैं कि आप अपनी सजा समाप्त कर चुके है, और आप इस अपराध के लिए और दंडित नहीं किया जाना चाहिए।
- आप समझा सकते हैं कि आप बदल गए हैं, या आपले हालात बदल गए हैं, और आपके अपराध करने की संभावना नहीं है
- क्या आप परीक्षा या किसी अन्य शरीर से एक सकारात्मक रिपोर्ट ले चुके हैं? यदि नहीं, तो आप दोस्तों, पूर्व नियोक्ताओं, चर्च के

सदस्यों या यहां तक कि निरोध केंद्र के कर्मचारियों से सिफारिश का पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह अदालत में दिखा सकते हैं।

- अपराध की गंभीर मामलो मे आपके चरित्र के लिये प्रतिभू व सन्दर्भ महत्वपूर्ण है ।

महत्वपूर्ण: अगर आप सोचते हैं कि जब आप जेल मे थे पर आप बेकसूर थे, यह न्यायाधीश से न कये। जमानत की सुनवाई इस के लिए सही जगह नहीं है।अगर आप इसे चुनौती देना चाहते हैं, आप को यह अलग से आपराधिक वकील के संग करना होगा।

अध्याय 9. सुनवाई की तारीख

यह अनुभाग आपको बताता है:

- जब आपको सुनवाई की तारीख मिले तो क्या करें
- जमानत सारांश के बारे में
- जो लोग अदालत में हो सकते हैं और वे क्या करते हैं
- जमानत की सुनवाई के दौरान क्या होता है
- क्या निर्णय लिया जा सकता है

आपको सुनवाई की तारीख कैसे पता चलेगी?

आईएसी आपको अदालत की तारीख को बताने के लिए लिखेंगे। वे एक 'सुनवाई की सूचना' नामक एक पृष्ठ का दस्तावेज भेजकर यह करेगे।

अगर आपको सुनवाई की सूचना नहीं मिलता है, 0300 123 1711 पर पूछो। आवेदन फॉर्म फैंक्स करने के एक या दो दिन के भीतर सुनवाई की सूचना प्राप्त करनी चाहिए पर कभी कभी ये ज्यादा समय हो सकता है।

आप सुनवाई की तारीख कब मिलेगा क्या करें

- प्रतिभू को अदालत की तारीख बताओ ताकि वे अदालत आ सके
- आवास देने वाले व्यक्ति को अदालत की तारीख बताओ ताकि वे अदालत आ सके
- जो कोई समर्थन कर रहा है उन्हें आवेदन की सुनवाई की तारीख बताओ अगर वे सुनवाई में उपस्थित होना चाहते हैं।
- आईएसी को फोन से (यदि आप अपने जमानत प्रपत्र पर दुभाषिया का अनुरोध कर रहे हैं) एक दुभाषिया उपलब्ध के बारे जाँच करें।
- आप अपने सुनवाई के लिए सभी जरूरत दस्तावेजों को इकट्ठा करें। यहाँ आपके अदालत के लिए आवश्यक हो सकते हैं दस्तावेजों की सूची है:

- अपनी जमानत आवेदन फार्म की एक प्रति
- बयान की एक प्रति
- जमानत सारांश (नीचे देखें)
- आपके प्रतिभू को अपनी मूल पासपोर्ट देनी है (न कि प्रतियां) या पहचान दस्तावेज लाने है।
- पिछले तीन महीनों के लिए अपने प्रतिभू की बैंक स्टेटमेंट
- आपके प्रतिभू की पिछले 3 महीने के लिए वेतन है या लाभ पत्र के सबूत
- अपने आवास प्रदाता के संपत्ति के मालिक होने का सबूत लाने की जरूरत है। एक बंधक बयान सामान्य है। अगर आपके आवास प्रदाता संपत्ति किराये पर लेते हैं, तो मकान मालिक से एक पत्र की आवश्यकता होगी जो कता है कि आप वहाँ रह सकते हैं। अगर आप परिवार के सदस्य नहीं हैं, तो गृह मंत्रालय शरण समर्थन आवास में रहने वाले के संग नहीं रही सकते।
- अन्य दस्तावेज जो आपको लगते हैं कि वे भी मदद करेगे। इनमें अस्थायी प्रवेश जिसका आपको कोई जवाब नहीं मिला है, आपके मासिक समीक्षा प्रपत्र (IS151F प्रपत्र); रोग को दिखाने के लिए दस्तावेज, दस्तावेज कहते हैं कि आप यात्रा प्रलेखन प्रक्रिया के साथ संचालित है, लेकिन यात्रा दस्तावेज नहीं दिया गये हैं।

क्या आपके सुनवाई से पहले क्या होता है?

- जब आप गृह मंत्रालय को जमानत के लिए आवेदन करते हैं, उनको जरूर "जमानत सारांश" भेजना चाहिए। यह आप को हिरासत में रखने की वजह बताने का दस्तावेज है। गृह मंत्रालय आपको रिहा न करने के सब कारणों को इस दस्तावेज में डाल देता है।
- "जमानत सारांश" जमानत की सुनवाई के पहले दिन पर 2:00 से 24 घंटे के अग्रिम भेजी जानी चाहिए।

आपको जमानत सारांश के हर भाग को पढ़ने की जरूरत है, और आपको अपने मामले की बहस करने के लिए प्रत्येक भाग का जवाब कैसे कर सकते हैं सोचना चाहिये। आपको यह लिखना चाहिये ताकि आप उन्हें न भूले। अगर जमानत सारांश के हिस्से गलत हैं, तो इनमें से एक नोट बनाये ताकि आप शांति से जज को ये दिखा सकते हैं।

अगर आपको अदालत में जमानत सारांश दिया जाता है, तो आप अदालत से अपने तर्क तैयार करने का समय माग सकते हैं। आपका १ या २ घंटों का मागना उचित है।

सुनवाई के दिन

- सुनवाई का समय सुनवाई के नोटिस पर है। लेकिन न्यायाधीश के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि वह कई सुनवाईया सुनता है।
- अधिकांश सुनवाईया अब वीडियो लिंक से आयोजित होती हैं। आप हटाने के केंद्र में एक कमरे में होंगे और आप एक टीवी स्क्रीन पर अदालत देखेंगे।

सुनवाई के लिए अदालत में कौन होगा?

व्यक्ति	उनकी क्या भूमिका है?
आप	(वीडियो लिंक द्वारा) आप अदालत में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अपका काम है समझाना कि आपको जमानत क्यों मिलनी चाहिए।
आप्रवासन जज	आपको जमानत देने को तय करने के लिये। (आव्रजन न्यायाधीश स्वतंत्र है और गृह मंत्रालय का हिस्सा नहीं है) न्यायाधीश को आपको बोलने का मौका देना

	<p>चाहिए।</p> <p>आप न्यायाधीश बीच में बात मत करे, खासकर अंत में, जब निर्णय बताया जा रहा है। अगर न्यायाधीश ने आपके आवेदन को मना कर दिया, तो वह उस दिन पर अपना मन परिवर्तित नहीं करेगा।</p>
घर कार्यालय का पेश अधिकारी (HOPO)	HOPO गृह मंत्रालय का वकील है। वे आपको हिरासत में रखे जाने के लिये कहेंगे।
कोर्ट अशर	वे हर किसी को सही जगह में बिठाने में जज की मदद करते हैं। वे जमानत याचिका पर कोई फैसला लेने में शामिल नहीं हैं। अशर कमरे से बाहर आ-जा सकते हैं।
दुभाषिया	यह व्यक्ति अदालत में कहा जो कहा जा रहा है उसे समझाता है। आप दुभाषिया अपनी भाषा में अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, तुरंत दुभाषिया और न्यायाधीश को बता दें।
प्रतिभू	आपको जमानत पाने में मदद करने के लिए।
आवास प्रदाता	आपको जमानत पाने में मदद करने के लिए।
जनता के सदस्य	अदालत की सुनवाई सार्वजनिक रूप से आयोजित होती है तो कोई भी जमानत को देखने के लिए जा सकता है।


अदालत की सुनवाई के दौरान क्या होगा?

सभी अदालत की सुनवाईया अलग होती हैं लेकिन यह एक ठेठ सुनवाई में होता है। याद रखें कि यह सब सुनवाईयो में ऐसा नहीं होता। सुनवाई वीडियो लिंक के द्वारा होती है, तो आपको अदालत में नहीं जाना होगा। इसके बजाय आप हटाने के केंद्र में एक कमरे में जाओगे और एक स्क्रीन और माइक्रोफोन के माध्यम से न्यायाधीश और प्रतिभू के साथ बातचीत करेंगे।

- एक अनुरक्षण अदालत से जुड़े हुये एक स्क्रीन के साथ हटाने केंद्र में कमरे मे ले जायेगा।
- जज के कमरे में आएगा। सब खड़े होंगे।
- न्यायाधीश को नाम की तरह विवरणो की जाँच करेनि होगि और कमरे में अन्य लोगों का परिचय देना चाहिए।
- न्यायाधीश गृह मंत्रालय पेश अधिकारी (HOPO) से कुछ कहने के लिए पूछनेगे। आम तौर पर HOPO जमानत सारांश में जो है उससे ज्यादा नहीं कहता और आपको हिरासत में रखने के कारण कहता है।
- न्यायाधीश आप से पूछनेगे कि आपको अगर कुछ कहना है। जाँच करें कि न्यायाधीश ने बयान को देखा है। अगर गृह मंत्रालय ने कुछ हलत लिखा है तो न्यायाधीश को बताओ।
- क्यों आपको रिहा किया जाना चाहिए की एक सारांश कहने के लिए कहा जाना चाहिए। अपने बयान में सब कुछ मत दोहराना। न्यायाधीश को अपने पक्ष में मुख्य बातें को। जमानत सारांश क्या कहते हैं संकेत से जवाब दें।
- HOPO आपसे सवाल पूछ सकते हैं।
- न्यायाधीश जो स्पष्ट नहीं है उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं।
- HOPO कहेगा कि आपको हिरासत में क्यों रहना चाहिए ।
- यदि न्यायाधीश सोचता है कि आपको जमानत मिलनि जाहिये तो वह प्रतिभू और आवास प्रदाता से बात करेंगे।
- जज आप अपना निर्णय बता देंगे।

- अगर जमानत दे दी जाती है, तो जमानत की शर्तों पर चर्चा की जाएगी।

जमानत सुनवाई का चित्र



फेसला

एक जमानत की सुनवाई के तीन संभव परिणाम हैं:

परिणाम	इसका क्या मतलब है	आगे क्या
आपका आवेदन सफल होता है	आप सफल रहे हैं और आपको रिहा किया जाएगा।	<ul style="list-style-type: none">• न्यायाधीश आपको जमानत की शर्तों को समझाएगा। ये आम तौर पर कहते हैं कि आपने जो पता दिया है आप वहाँ पर रहेगे और आप एक आव्रजन कार्यालय के लिए सेट अंतराल पर रिपोर्ट करेगे।• अगर आप इनका पालन न करे, आप फिर से हिरासत में लिये जाएगे और जमानत गोबारा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
आपका आवेदन बर्खास्त कर दिया गया है	आप रिहा नहीं किये जाएगे। अगर आप व्यक्ति में अदालत में हैं, तो वापस निकालना केंद्र में ले जाये जाएगे, या सुनवाई	<ul style="list-style-type: none">• आवेदन बर्खास्त करने के कागज रखे क्योंकि यह अगली बार जमानत अवेगन में मदद करेगी।• हार नहीं माने! कई बंदियों 4 या 5 जमानत

	<p>वीडियो लिंक के द्वारा है तो आप हटाना केंद्र में रहेंगे।</p>	<p>आवेदनो के बाद रिहा किया जाता है तो फिर से जमानत के लिए आवेदन करना महत्वपूर्ण है</p> <ul style="list-style-type: none"> • आप 28 दिनों के बाद एक और जमानत आवेदन कर सकते हैं। • अगर मामले मे कुछ बदलता है, तो आप जल्दी ही एक जमानत आवेदन कर सकते हैं और आपको 28 दिनों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको रिहाई के लिए अदालत में प्रदर्शन करना होगा कि यह महत्वपूर्ण है।
<p>आप जमानत के लिये आवेदन वापस लेते है</p>	<p>इसका मतलब है कि आपने एक समस्या के कारण के आगे न जाने का फेसला लिया है। उदाहरण के लिए, आपके प्रतिभू समय में अदालत में नहीं मिल सकते</p>	<ul style="list-style-type: none"> • जो गलत हो गया था उसे सुलझा कर दोबारा अवेदन करो • अगर न्यायाधीश आपको वापस लेना के लिये कहता है तो आपको जमानत मिलने की संभावना नहीं है। आप जमानत के

	या बैंक के बयान के बिना अदालत में आते हैं।	लिए आवेदन को वापस लेकर फिर जमानत के लिए आवेदन करना शायद बेहतर है।
--	--	---

अनुलग्नक

हमने आपकी मदद करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज का संलग्न किया है:

- जमानत आवेदन फॉर्म (बी 1)
- जमानत के लिए अपने आधार लिखने के लिए रिक्त टेम्पलेट
- जमानत के बयान के लिए आधारों का उदाहरण
- धारा 4 आवेदन फार्म
- धारा 4 समर्थन सूचना बुलेटिन
- निकालना केन्द्रों में सक्रिय डीडीए वकील फर्मों की सूची
- आगंतुकों समूहों की सूची
- उपयोगी संगठनों की सूची
- आव्रजन मामलों से निपटने के अन्य वकील की सूची

Section 3		Personal Information	
A	Recognizance	I agree to be bound to a recognizance of £	
B	Deposit – applies to bail applications in Scotland only	If bail is granted, I will pay a deposit of £	
C	<p>Electronic monitoring – if bail is granted and electronic monitoring is considered an appropriate condition of bail, you will remain in detention until such times as the Home Office have arranged for you to be electronically monitored, but not exceeding 2 working days after the date on which bail is granted.</p> <p>If appropriate, do you consent to the above?</p>	<p>No <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/></p>	
D	Applicant's signature and date	/ /	
E	Name of the Applicant. Please use CAPITAL LETTERS		
Section 4		About your sureties (if any)	
		Surety 1	Surety 2
A	Surname or family name. Please use CAPITAL LETTERS.		
B	Other names		
C	Address		
		Post code	Post code
D	Telephone number		
E	Relationship to the Applicant		
F	Immigration Status		
G	Occupation		
H	Recognizance/Deposit	£	£
I	Date of birth		
J	Nationality (or nationalities) or citizenship held		
K	Passport number(s) (if more than one nationality is held)		

Notice to the Applicant	Please ensure that you and your surety/ies bring to the bail hearing: passports, bank statements and other financial documents necessary for the grant of bail.
--------------------------------	---

Section 5	The grounds on which you are applying for bail
------------------	---

- In this section you must set out all the reasons why you think you should be released.
- **If you have had a previous application for bail refused, you must give full details of any additional grounds or change in circumstances since then.**
- Give as much detail as possible: use additional sheets of paper if you need to, and attach them to this form.

In this box, give all the reasons why you think you should be released.

Section 6	At the hearing of your application
------------------	---

A Will you or your surety need an interpreter?	No <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/>	If yes, which language will be needed?
	Language	
B If you or your legal representative has a disability, please explain any special arrangements needed for the hearing.	Dialect (if required)	

K	Has the Applicant been granted publicly funded legal representation?	No <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/>	Please provide the LSC reference if applicable:
----------	--	--	---

Notice to representatives	You must notify the court in which the bail application is made, and other parties, if you cease to represent the Applicant. If the Applicant changes representative, details of the new representative should be sent to the same address to which you are sending this form. Please give the Applicant's full name, address, and Home Office reference number.
----------------------------------	---

Section 8

Declaration by Applicant

If you are the Applicant and you are completing this form yourself, you must complete the declaration.

A	Declaration by the Applicant
	Applicant's signature and date.
B	Name of the Applicant. Please use CAPITAL LETTERS.

I, the Applicant, believe that the facts stated in this application are true.		
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="678 761 1109 907"></td> <td data-bbox="1109 761 1495 907">/ /</td> </tr> </table>		/ /
	/ /	

Section 9

When you have completed the form

What to do next

Keep a copy of this form for your own use. Send or deliver the original form to the court to which you intend to make your application for bail.

Data Protection statement

Information, including personal details, provided in this form will not be used by the First-tier Tribunal for purposes other than the determination of your application. The information may be disclosed to other government departments and public authorities only, for related immigration or asylum purposes.

जमानत के लिए अपने आधार कैसे लिखें

मेरे नाम है _____। मैं यह अवेगन अपने आप बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वकील नहीं है। मैं अपने आप को प्रतिनिधित्व करना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे Bail for Immigration Detainees से कुछ मदद मिली है।

मैं इस कारण की वजह से फरार नहीं होगा

ब्रिटेन से मेरा हटाना जल्द नहीं हो सकता क्योंकि

आपका नजरबंदी से बाहर निकलने के लिए अन्य कारणों हो सकते हैं

मैं इस आवेदन के साथ संलग्न कर रहा हूँ यह दस्तावेज़

- 1.
- 2.

जमानत के लिए अपने आधार कैसे लिखें

मेरे नाम है _____। यह अवेगन अपने आप बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वकील नहीं है। मैं अपने आप को प्रतिनिधित्व करना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे Bail for Immigration Detainees से कुछ मदद मिली है।

मैं इस कारण की वजह से फरार नहीं होगा

मुझे क्यों जमानत दी जानी चाहिए

आपको यह मुख्य बातों को समझाने की जरूरत है:

- क्यों आव्रजन सेवा आप 'फरार' हो जाएगा कहने के लिए गलत हैं

मैं मेरे लिए सेट किये शर्तों का पालन करोगा क्योंकि

- समझाओ कि क्यों आप जमानत शर्तों का पालन करेंगे
- यदि आपने पहले किसी शर्त को तोड़ा है, तो इस बार यह अलग क्यों होगा

ब्रिटेन से मेरा हटाना जल्द नहीं हो सकता क्योंकि

समझाओ कि ब्रिटेन से हटाना जल्द नहीं हो सकता

- यात्रा दस्तावेज के साथ समस्या है
- यदि आप एक आव्रजन मामले के निर्णय के लिए इंतजार कर रहे हैं
- अगर ब्रिटेन आपके देश से लोगों को वर्तमान में निकाल नहीं रहा।

आपके नजरबंदी से निकलने के लिए अन्य कारण हो सकते हैं

जैसा:

- चिकित्सा कारण
- हिरासत की लंबाई
- हिरासत के बाहर परिवार के साथ कोई समस्या

अगर आप ये कहते हैं तो अवेदन के साथ सबूत भेजे

मैं इस आवेदन के साथ संलग्न कर रहा हूँ यह दस्तावेज

- 1.
- 2.

5 b	Date previous application made	<div style="text-align: center;"> / / (day/month/year) </div>
6	What is your detention address?	
6 a	Who is your Home Office Case Owner?	

7	Contact telephone number:	<p>.....</p> <p>Who does this telephone number belong to?</p> <p>.....</p>
8	Who is representing you for this application? (Please leave blank if not represented)	<p>Name</p> <p>Organisation</p> <p>Address</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Telephone Number</p> <p>Has your representative filled this form in on your behalf?</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <hr/> <p>Name</p> <p>.....</p> <p>Organisation</p> <p>Address</p> <p>.....</p>

		<p>.....</p> <p>.....</p> <p>Telephone Number</p> <p>Has your representative filled this form in on your behalf?</p> <p>Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
9	<p>Bail accommodation is normally provided in the form of a shared room with communal kitchen, bathroom and living spaces. If there are any medical or other reasons why this is inappropriate for you please describe them here</p>	

<p>I can confirm that I have included all the necessary information to support this application.</p>	
<p>Your signature / Representatives signature:</p>	
<p>Name (please print):</p>	
<p>Date:</p>	<p>/ / (day/month/year)</p>

Please return the completed form to the Home Office by one of the following methods:

Post: Home Office (UKVI)
Section 4 Bail Team
14th Floor (Short Corridor),
Lunar House, 40 Wellesley Road
Croydon CR9 2BY

Fax: 0870 336 9368

कानूनी सर्जरी रोट्टः अगस्त 2014

कहाँ:	कब:	कंपनी:
Brook House	मंगलवार बुधवार गुरुवार	Duncan Lewis & Co Howe & Co Lawrence Lupin Solicitors
Campsfield House	मंगलवार गुरुवार	Duncan Lewis & Co Turpin & Miller Solicitors Lawrence Lupin Solicitors
Colnbrook	सोमवार बुधवार शुक्रवार	Duncan Lewis & Co Fadiga & Co Wilson & Co Solicitors LLP
Dover	मंगलवार बुधवार गुरुवार	Duncan Lewis & Co Howe & Co Thompson & Co Halliday Reeves Law Firm
Harmondsworth	सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार	Duncan Lewis & Co Fadiga & Co Wilson & Co Solicitors LLP
Haslar	शुक्रवार	Duncan Lewis & Co Howe & Co
Morton Hall	मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार	Duncan Lewis & Co Halliday Reeves Law Firm Fadiga & Co Parker Rhodes Hickmott Thompson & Co
Tinsley House	मंगलवार गुरुवार	Duncan Lewis & Co Lawrence Lupin Solicitors Howe & Co
The Verne	सोमवार मंगलवार गुरुवार शुक्रवार	Duncan Lewis & Co Thompson & Co Halliday Reeves Law Firm Fadiga & Co

Yarl's Wood	मंगलवार बुधवार गुरुवार	Duncan Lewis Fadiga & Co Wilson & Co Solicitors LLP
Dungavel		आप पुस्तकालय में वकील की एक सूची के लिए पूछ सकते हैं

फास्ट ट्रेक:

कहाँ:	कब:	कंपनी:
Harmondsworth	सोमवार से शुक्रवार	Duncan Lewis Fadiga & Co Howe & Co Lawrence Lupin Thompson & Co Wilson Solicitors LLP
Yarl's Wood	सोमवार से शुक्रवार	Duncan Lewis Fadiga Co Howe Co Lawrence Lupin Thompson & Co Wilson Solicitors LLP

Brook House	Duncan Lewis & Co 0207 923 3320 (fax) Lawrence Lupin Solicitors 020 8733 7250 (fax) Howe & Co 0870 063 4887 (fax)
Campsfield	Duncan Lewis & Co 0207 923 3320 (fax) Lawrence Lupin Solicitors 020 8733 7250 (fax) Turpin and Miller Solicitors 01865 749099 (fax)
Cedars	Duncan Lewis & Co 0207 923 3320 (fax) Lawrence Lupin Solicitors 020 8733 7250 (fax)
Colnbrook	Duncan Lewis & Co 0207 923 3320 (fax) Wilson and Co 0208 880 3393 (fax) Fadiga & Co 0208 675 5958 (fax)
Dover	Duncan Lewis & Co 0207 923 3320 (fax) Howe & Co 0870 063 4887 (fax) Wilson & Co 0208 880 3393 (fax) Fadiga & Co 0208 675 5958 (fax)

	Halliday Reeves 01302 560 663 (fax) Thompson & Co 0208 6720363 (fax)
Harmondsworth	Duncan Lewis & Co 0207 923 3320 (fax) Wilson and Co 0208 880 3393 (fax) Fadiga & Co 0208 675 5958 (fax)
Harmondsworth Detained Fast Track	
Haslar	Duncan Lewis & Co 0207 923 3320 (fax) Howe & Co 0208 880 3393 (fax)
Morton Hall	Duncan Lewis & Co 0207 923 3320 (fax) Fadiga & Co 0208 675 5958 (fax) Halliday Reeves Law Firm 01302 560 663 (fax) Thompson & Co 0208 6720363 (fax) Wilson and Co 0208 880 3393 (fax) Parker Rhodes Solicitors 01709 371917 (fax) Howe & Co 0870 063 4887 (fax)
The Verne	Duncan Lewis & Co 0207 923 3320 (fax) Fadiga & Co 0208 675 5958 (fax) Halliday Reeves Law Firm 01302 560 663 (fax) Thompson & Co 0208 6720363 (fax)
Tinsley House	Duncan Lewis & Co 0207 923 3320 (fax) Lawrence Lupin Solicitors 020 8733 7250 (fax) Howe & Co 0208 880 3393 (fax)
Yarl's Wood	Duncan Lewis & Co 0207 923 3320 (fax) Fadiga & Co 0208 675 5958 (fax) Wilson and Co 0208 880 3393 (fax)
Yarl's Wood Detained Fast Track	

आगतुक समूह

आगतुक समूह कानूनी सलाह नहीं देते, लेकिन बंदियों को समर्थन की पेशकश कर सकते हैं। अगर आप को हिरासत में लिया जाता है और किसी से आप बात करना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं: Association of Visitors Groups (AVID), 1b Waterlow Road, London N19 5NJ. Telephone number: 020 7281 0533.

निकालना केंद्र	आगतुक समूह का नाम	सम्पर्क करने का विवरण
Brook House IRC	Gatwick Detainees Welfare Group	Tel: 01293 657 070 Fax: 01293 474 001
Campsfield House IRC	Asylum Welcome	Tel: 01865 722082 Fax: 01865 792532 www.asylum-welcome.supanet.com
Campsfield House IRC	Terrence Higgins Trust (Oxford)	Tel: 01865 243389 www.tht.org.uk
Dover IRC	Samphire Project	Tel: 01304 242 755 www.samphireproject.org.uk
Dungavel IRC	Scottish Detainees Visiting Scheme	Tel: 0141 248 9799 Fax: 0141 243 2499 www.scottishrefugeecouncil.org.uk
Harmondsworth IRC, Colnbrook IRC	Detention Action	Freephone number: 0800 587 2096 Tel: 020 7226 3114 Fax: 020 7226 3016 www.detentionaction.org.uk
Haslar IRC	Haslar Visitors Group	Tel/Fax: 023 9283 9222 www.friendswithoutborders.org.uk
Liverpool Prison	Liverpool Prison Visitors Group	Tel: 0151 709 7284
Morton Hall	Morton Hall Detainee Visitors Group	Tel: 07758 604 293 Email: mhvg@riseup.net
Tinsley House	Gatwick Detainees Welfare Group	Tel: 01293 657 070 Fax: 01293 474 001 www.gdwg.org.uk
Wandsworth Prison	Wandsworth Refugee Network	Tel: 020 8946 5343
The Verne	The Verne Visitors Group	Detainee Tel: 0751 852 3220 Other organisations: 0751 728 4059
Yarl's Wood	Yarl's Wood	Tel: 01234 272 090

उपयोगी संगठनों की सूची:

यह समूह विभिन्न प्रकार की सलाह और जानकारी का प्रदान करते हैं। अगर समूह के बाद कोई विवरण नहीं है तो यह शरण चाहने वालों के लिए सलाह (कानूनी नहीं) या समर्थन का एक संगठन है। अपनी जगह के सबसे पास वाले समूह से संपर्क करें।

Asylum Support Appeals Project (ASAP)

शरण समर्थन आवेदनों पर सलाह प्रदान कर सकते हैं

Ground Floor, Anchorage House, 2 Clove Crescent, East India Dock, London E14 2BE

Tel: 0203 716 0284

Advice Line: 020 3716 0283

Fax: 0203 716 0272

www.asaproject.org

Asylum Aid

कुछ मामलों में कानूनी सलाह और प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकते हैं

Club Union House, 253 -254 Upper Street, London N1 1RY

Office: 020 7354 9631

Advice line: 020 7354 9264 Tuesday 1pm- 4pm

Fax: 020 7354 5620

www.asylumaid.org.uk

Asylum Welcome

धारा 4 अनुप्रयोगों के साथ मदद दे सकते हैं

Unit 7, Newtec Place, Magdalen Road, Oxford, OX4 1RE

Tel: 01865 722082

Fax: 01865 792532

www.asylum-welcome.org

Bail Circle

आव्रजन हिरासत में लोगों के लिए प्रतिभू का नेटवर्क

Churches Together in Britain and Ireland, 39 Eccleston Square, London, SW1V 1BX.

Tel: 0845 680 6851

Fax: 0845 680 6852.

www.ctbi.org.uk/CHA/94

Bail for Immigration Detainees (BID)

जमानत आवेदन के लिए कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करता है:

28 Commercial St, London E1 6LS.

Tel: 020 7247 3590 (Mon-Thurs, 10am-12 noon)

Fax: 020 3468 2489

www.biduk.org.uk

Detention Action

Leroy House, Unit 3R, 436 Essex Road, London N1 3QP

Freephone number: 0800 587 2096

Tel: 020 7226 3114

Fax: 020 7226 3016

www.detentionaction.org.uk

Freedom from Torture

यातना के शिकार या चिकित्सा सहायता के लिये परामर्श और मेडिको-लीगल रिपोर्ट प्रदान कर सकते हैं

111 Isledon Road, London N7 7JW

Tel: 0207 697 7777

Fax: 020 7697 7799

www.freedomfromtorture.org

Medical Justice

आव्रजन हिरासत में लोगों के लिए डॉक्टरों द्वारा यात्राओं को प्रदान करता है.

Tel: 0207 561 7498

Fax: 08450 529370

www.medicaljustice.org.uk

Refugee Action

वे वर्तमान में स्वैच्छिक वापसी असिस्टेड विकल्प चलाते हैं। जिनमें शामिल हैं:

1) Voluntary Assisted Return and Reintegration Programme (VARRP)

Assisted Voluntary Return for Irregular Migrants (AVRIM). आप हिरासत से

रिहा होने से पहले इस के लिये अवेदन नहीं कर सकते

Victoria Charity Centre, 11 Belgrave Road, London SW1V 1RB

Tel: 020 7952 1511

Fax: 020 7821 9382

Choices: 0808 800 0007 or 020 7952 1510

www.refugee-action.org.uk

Refugee Council

बुनियादी शरण कानून के संबंध में सलाह और सहायता के लिए

London office: Tel: 020 7346 6700,

e-fax: 020 3743 9581.

अगर आप हिरासत में एक बच्चे हैं या आव्रजन हटाने केंद्र में हिरासत में लिया जा रहे एक बच्चा कि बारे में रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप संपर्क करना चाहिए:

Children's Section: Tel: 020 7346 1134
Email: children@refugeecouncil.org.uk
www.refugeecouncil.org.uk

United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) UK Section इस संगठन का प्राथमिक उद्देश्य अधिकारों और शरणार्थियों का रक्षा करना है। यह कुछ मामलों में हस्तक्षेप करेगा।
Legal enquiries: 0744 296 8297 or email: gbrlo@unhcr.org
www.unhcr.org

Scottish Refugee Council
शरण चाहने वालों और शरणार्थियों के लिए कल्याण के मुद्दों पर सलाह
Tel: 0141 248 9799
Fax: 0141 243 2499
www.scottishrefugeecouncil.org.uk

कानूनी प्रतिनिधित्व और शिकायतों को ढूँढना:

Law Centres Network
आप के नजदीक लॉ सेंटर के बारे में पता करने के लिये संपर्क करें:
Floor 1, Tavis House, Tavistock Square, London WC1H 9NA
Tel: 020 3637 1330
www.lawcentres.org.uk

Office of the Immigration Services Commissioner (OISC)
5th Floor, 21 Bloomsbury Street, London WC1B 3HF
Tel: 020 7211 1500
Tel: 0345 000 0046 (local rates)
Fax: 020 7211 1553
www.oisc.homeoffice.gov.uk

आव्रजन सलाहकारों OISC द्वारा विनियमित रहने हैं। इसका मतलब है कि सलाहकारों को OISC की आवश्यकताओं और मानकों को पूरा करना होगा। OISC के पास आप संपर्क करने के लिये आव्रजन सलाहकारों की एक सूची है। OISC एक सलाहकार पर शिकायतों की जांच पर विचार करेगी अगर वे OISC के द्वारा विनियमित या अवैध आप्रवास सलाह या सेवाएं करने वाले हैं।

The Law Society
The Law Society, 113 Chancery Lane, London WC2A 1PL
Tel: 020 7242 1222

लॉ सोसायटी इंग्लैंड और वेल्स के वकीलो के लिए प्रतिनिधि और नियामक संस्था है। लॉ सोसायटी आव्रजन मामलों में विशेषज्ञता उदाहरण के वकील की जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

कील को खोजने के लिए, उनके ऑन लाइन सेवा का उपयोग कर सकते हैं:

<http://solicitors.lawsociety.org.uk/about>

शिकायतों के बारे में:

अगर आप अपने प्रतिनिधि द्वारा दी गई सेवा से नाखुश हैं, तो आपके पास शिकायत करने का अधिकार है। आमतौर पर सलाह है कि शिकायतों के लिए अपने कानूनी प्रतिनिधि की फर्म / संगठन में जिम्मेदार व्यक्ति को लिख कर समस्या को हल करने के लिये कहे। अगर इससे समस्या हल न हो तो OISC या Solicitors Regulation Authority या Legal Ombudsman से संपर्क करें।

Solicitors Regulation Authority

Tel: 0370 606 2555

Fax: 0121 616 1999

www.sra.org.uk

Legal Ombudsman

Tel: 0300 555 0333

www.legalombudsman.org.uk

गृह मंत्रालय के खिलाफ शिकायतें

गृह मंत्रालय, ब्रिटेन वीजा और आव्रजन या गृह मंत्रालयके आव्रजन और प्रवर्तन के बारे में शिकायत करने के लिए, आप लिख सकते हैं:

Home Office

Direct communications unit

2 Marsham Street

London SW1P 4DF

public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk fax number is: 020 7035

4745. आप सरकार स्विचबोर्ड पर फोन कर सकते हैं: 020 7035 4848.

संसद के एक सदस्य से शिकायत

संसद (MPs) के सदस्यों को उनके क्षेत्र में रहने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ मामलों में अगर अनुकंपा हालात हैं और सभी अन्य अनुप्रयोगों और अपील में विफल रहे हैं, MPs हस्तक्षेप कर सकते हैं। आप उन से हिरासत में व्यवहार के बारे में शिकायत कर सकते हैं।

संसद के अपने सदस्य का पता लगाने के लिये:

Tel: 020 7219 4272. आप को हिरासत में लिये जाने से पहले वाला पता या हिरासत केंद्र का पिन कोड देने की जरूरत होगी।

20 7219 3000 पर हाउस ऑफ कॉमन्स स्विचबोर्ड के माध्यम से संसद से संपर्क कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट है: www.parliament.uk

Home Office Departments

Home Office – Facilitated Return Scheme

यह आपराधिक सजा वाले लोगो जो अपने मूल देश में लौटना चाहते हैं यह उनके लिए है

Tel: 020 8760 8513

Section 4 (1)(c) bail accommodation applications – Bail Team

यह खंड 4 जमानत आवास अनुप्रयोगों के साथ संबंधित है, यह गृह मंत्रालय के भीतर विभाग है।

Tel: 020 8196 0347

Fax: 0870 336 9368

गृह मंत्रालय का सामान्य संपर्क

अदालतें

The Immigration and Asylum Chamber

कॉल सेंटर Tel: 0300 123 1711

आव्रजन वकीलो की सूची

नाम	पता	टेलीफोन	फैक्स
Wilson & Co	697 High Road, Tottenham London N17 8AD www.wilsonllp.co.uk Colnbrook, Harmondsworth, Yarl's Wood, Harmondsworth Fast Track, Yarl's Wood Fast Track.	020 8808 7535	020 8880 3393
Lawrence Lupin Solicitors	10 th Floor Tower 1 Olympic Way Wembley Middlesex HA9 ONP www.lawrencelupin.co.uk Brook House, Campsfield House, Tinsley House, Yarl's Wood Fast Track, Harmondsworth Fast Track	020 8733 7200	0208 733 7250
Duncan Lewis	1 Kingsland High Street Hackney London E8 2JS www.duncanlewis.co.uk Brook House, Campsfield House, Colnbrook, Dover, Harmondsworth, Harmondsworth Fast Track, Haslar, Morton Hall, Tinsley House, The Verne, Yarl's Wood, Yarl's Wood Fast Track	020 7923 4020	020 7923 3320
Fadiga & Co	257-259 Balham High Road London SW17 7BD www.fadigaandco.com Colnbrook, Harmondsworth, Morton Hall, The Verne, Harmondsworth Fast Track, Yarl's Wood, Yarl's Wood Fast Track.	020 8672 8779	020 8675 5958
Howe & Co	1010 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9BA www.howe.co.uk Dover, Haslar, Tinsley House, Yarl's Wood Fast Track, Harmondsworth Fast Track.	020 8840 4688	020 8840 7209

Halliday Reeves Law Firm	PO Box 481 Gateshead Tyne & Wear NE8 9DW www.hallidayreeves.co.uk Dover, Morton Hall, The Verne	0844 811 2147 or 0191 477 7728	0844 811 2148
Parker Rhodes Hickmott Solicitors	The Point Bradmarsh Way Bradmarsh Business Park Rotherham S60 1BP www.prhsolicitors.co.uk Morton Hall	01709 511100	01709 371 917
Thompson & Co	First Floor, 14-16 Mitcham Road London, SW17 9NA www.solicitorsintooting.co.uk Dover, Morton Hall, The Verne, Yarl's Wood Fast Track Harmondsworth Fast Track	0208 682 4040	020 8682 4500
Turpin Miller & Higgins	1 Agnes Court Oxford Road Oxford OX4 2EW www.turpinmiller.co.uk Campsfield House	0186 5770111	0186 574 9099

GLASGOW (for Dungavel)

Livingstone Brown	84 Carlton Place, Glasgow G5 9TD www.livbrown.co.uk	0141 429 8166	0141 420 1337
Gray & Co Solicitors	16-16A Bilsland Drive, Maryhill, Glasgow, G20 9 TH www.	0141 9467777	0141 9469402
Women's Refugee Project	Legal Services Agency Ltd., Fleming House, 134 Renfrew Street, Glasgow, G3 6ST	0141 3533354	0141 3530354
Peter G Farrell	70 Royston Road, Glasgow, G21 2NT	0141 5520033	0141 5520333
Peter G Farrell	1594 Dumbarton Road, Glasgow G14 9DB	0141 9502961	0141 9506708
Hamilton Burns	63, Carlton Place, Glasgow, Lanarkshire G5 9TW	0141 429 0600	0141 429 0650
Drummond Miller	65 Bath Street, Glasgow G2 2DD	0141 3320086	0141 3328295

कानून केन्द्रों कानूनी सलाह प्रदान करते हैं और आप के पास एक हो सकता है.

सबसे पास लॉ सेंटर से संपर्क के लिये लॉ सेंटर नेटवर्क से संपर्क करे :

Tel: 020 3637 1330

www.lawcentres.org.uk

Citizen Advice Bureaux (CAB) कभी कभी कानूनी सहायता एजेंसी के साथ अनुबंध किया है और निःशुल्क कानूनी आव्रजन सलाह प्रदान कर सकते

हैं।Tel: 03444 111 444

www.citizensadvice.org.uk

इस 'How to Get Out of Detention' किताब का उद्देश्य बंदियों को जमानत के संबंध में अपने अधिकारों के बारे में सलाह देना है। यह ब्रिटेन में रहने के लिए आपके आवेदन पर सलाह देने के लक्ष्य में नहीं है।

यह निरोध और जमानत से संबंधित कानून के एक व्यापक बयान नहीं है और यह कानूनी प्रतिनिधि की जगह नहीं ले सकते हैं।

हमने इस गाइड को छपाई के समय यथासंभव सटीक बनाने की कोशिश की है, लेकिन हम किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदारी नहीं ले सकते या कानून और निरोध नीति में बदलाव कि चेतावनी नहीं दे सकते।

अगर पुस्तक नवीनतम संस्करण है पूछने के लिये कृपया BID को फोन करे-020 7456 9750. हम मुफ्त में आप्रवास बंदियों को नवीनतम संस्करण भेज देंगे। कानूनी प्रतिनिधियों के लिए, गाइड हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है www.biduk.org.

इस संस्करण के लिए संदर्भ है

Bail for Immigration Detainees (BID)
Registered in England as a limited company
Registered address: 1b Finsbury Park Road, N4 2 LA
Registered Charity No 1077187
Exempted by the OISC No N200100147

बंदियों के लिए एक मुक्त गाइड

www.biduk.org के

द्वारा